www.dhyeyaias.com

मार्च 2021 | अंक 02

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 भारत में समलैंगिक विवाह
एक अनुत्तरित प्रश्न

2 दल-बदल विरोधी कानून में बदलाव की आवश्यकता

3 भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य : व्यापारिक संभावनाओं के द्वार

4 स्वच्छता सारथी फेलोशिप एवं अपशिष्ट प्रबंधन

5 ईरान परमाणु समझौते की बहाली : संभावनाएं एवं चुनौतियां

6 ऑपरेशन ग्रीन्स : एक व्यापक रणनीति की जरूरत

7 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में संशोधन की मांग

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

मार्च 2021 | अंक 02

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ. ➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक ➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक ➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक ➢ आशुतोष सिंह
संपादक ➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग ➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक ➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक ➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक ➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास ➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति ➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक ➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक ➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14

- भारत में समलैंगिक विवाह : एक अनुत्तरित प्रश्न
- दल-बदल विरोधी कानून में बदलाव की आवश्यकता
- भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य : व्यापारिक संभावनाओं के द्वार
- स्वच्छता सारथी फेलोशिप एवं अपशिष्ट प्रबंधन
- ईरान परमाणु समझौते की बहाली : संभावनाएं एवं चुनौतियां
- ऑपरेशन ग्रीन्स : एक व्यापक रणनीति की जरूरत
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में संशोधन की मांग

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारत में समलैंगिक विवाह : एक अनुत्तरित प्रश्न

चर्चा का कारण

- हाल ही में समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) के मुद्दे पर दायर याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना हलफनामा पेश किया। सरकार ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिए जाने का विरोध किया है। सरकार ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के पार्टनर की तरह रहने और यौन संबंध बनाने की तुलना 'भारतीय पारिवारिक इकाई' से नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने की मांग से संबंधित कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं की मांग

- इन याचिकाओं में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इन याचिकाओं में कहा गया कि विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम की व्याख्या इस तरह कि जाए कि वो समलैंगिक विवाह पर भी लागू हो सके।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समुदाय अन्य नागरिकों की तरह संविधान द्वारा प्रदान किये गए सभी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान न करने से यह संविधान के अनुच्छेद-14 (विधि के समक्ष समता), अनुच्छेद-15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध), अनुच्छेद-19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद-21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

केंद्र सरकार का दृष्टिकोण

- केंद्र सरकार ने अपने हलफनामा में कहा कि सितंबर 2018 में नवतेज जोहर बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। इसके अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं माना जाएगा। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समलैंगिक विवाह को अनुमति दी जाये।
- सरकार का पक्ष है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है और समलैंगिक विवाह के मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। समलैंगिक विवाह किसी भी व्यक्तिगत कानून या किसी भी सांविधिक वैधानिक कानून में मान्यता प्राप्त या स्वीकृत नहीं हैं।
- सरकार का पक्ष है कि भारत में विवाह को पवित्र (sanctity) बंधन माना गया है और एक जैविक पुरुष (biological man) और एक जैविक महिला (biological woman) के बीच का संबंध सदियों पुराने रीति-रिवाजों (age-old customs), प्रथाओं (rituals), सांस्कृतिक लोकाचार (cultural ethos) और सामाजिक मूल्यों (societal values) पर निर्भर करता है।
- सरकार ने अपने हलफनामा में कहा कि विपरीत लिंग के व्यक्तियों के विवाह की मान्यता को सीमित करने में वैध राज्य हित (Legitimate State Interest) मौजूद हैं और एक ही लिंग के जोड़े को शादी करने की अनुमति देना विधानमंडल का काम है। केंद्र सरकार ने कहा कि यह विधानमंडल का काम है कि वह सामाजिक नैतिकता (Societal Morality) को ध्यान में रखते हुए ऐसे विवाह की वैधता पर विचार करे। केंद्र सरकार ने कहा कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है और इसे समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार बनाने के लिये विस्तारित नहीं किया जा सकता है। अत: समलैंगिक विवाह किसी भी व्यक्तिगत कानून या किसी भी सांविधिक वैधानिक कानून में मान्यता प्राप्त या स्वीकृत नहीं हैं।

धारा 377

- आईपीसी की धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान साल 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। इसे अप्राकृतिक अपराध करार दिया गया और कहा गया कि जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा,

उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। दशकों तक इसे अपराध माना गया और इस वजह से समलैंगिक समाज अपनी भावनाओं का गला घोंटता रहा।

भारत में समलैंगिक विवाह एवं सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- हिंदू मैरिज समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन-5 में कहा गया है कि शादी दो हिंदुओं के बीच होनी चाहिए। ऐसे में यह समझने की जरूरत है कि समलैंगिक रिश्तों को अपराध के रूप में नहीं देखा जाना और समलैंगिक विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी दर्जा दिया जाना अलग-अलग चीजें हैं। इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट अलग बनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, गैर हिंदुओं की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट में पंजीकृत नहीं होती हैं, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट में होती हैं।
- इसी तरह से एक विकल्प यह हो सकता है कि इसके लिए एक कानून बनाया जाए जिसमें इस सवाल का जवाब हो कि जब समलैंगिक रिश्ते जायज हैं तो उनकी शादी को किस कानून के तहत जायज ठहराया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को अपराध की परिधि से बाहर किया है। लेकिन समलैंगिक जोड़ों की शादी को लेकर कुछ नहीं कहा है।
- वर्ष 2018 में शफीन जहान बनाम असोकन के एम और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन साथी चुनने का अधिकार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। जब दो वयस्क एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं, तो यह उनकी पसंद की एक अभिव्यक्ति है जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मान्यता प्राप्त है। हालांकि समलैंगिक विवाह इसके अंतर्गत नहीं आता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से समाज और लोगों के नजरिये में बदलाव पर जोर दिया था और कहा था कि समलैंगिकता एक जैविक तथ्य है और इस तरह के लैंगिक रुझान वाले समुदाय के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।

समलैंगिक विवाह से जुड़े नैतिक एवं सामाजिक मुद्दे

- कुछ विश्लेषकों का मानना है कि प्रकृति के नियमों के मुताबिक एक बच्चे को जन्म केवल महिलाएं दे सकती हैं, लेकिन समलैंगिक शादियों में दंपति प्राकृतिक तौर पर बांझपन का शिकार होते हैं। अगर समलैंगिक दंपति बच्चा चाहते हैं तो संभव है कि इससे सरोगेसी के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है।
- सामान्यतया बच्चों का भविष्य मां-बाप के संरक्षण में पलता है। समलैंगिक विवाह की स्थिति में बच्चों का विकास प्रभावित होता है। वो या तो माँ का प्यार पाते हैं या पिता का सहारा। मां-बाप का प्यार उन्हें एक-साथ नहीं मिल पाता तो उनके विकास को प्रभावित करता है।
- समलैंगिक विवाह भारत में मान्य नहीं है ऐसे में समलैंगिक व्यक्ति उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। इसी प्रकार समलैंगिक जोड़े "मेडिक्लेम, इंश्योरेंस और अन्य दस्तावेजों में भी अपने जीवन साथी का नाम नहीं लिख सकते। कुल मिलकर समलैंगिक जोड़ा प्यार, समर्पण, इच्छा होने पर भी एक-दूसरे को परिवार नहीं बना सकता।
- सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवतेज जोहर बनाम भारत संघ के इस फैसले के बाद समलैंगिक और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भले ही मिल गया हो लेकिन इन लोगों का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी भी इस समुदाय के लोगों को साथ रहने या फिर शादी करने और फिर शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कानूनी संघर्ष करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- भारतीय समाज में वैवाहिक संबंध अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। संबंधित महिला और पुरुष के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा होने के बावजूद, विवाह दोनों पक्षों के परिवारों को भी पारस्परिक सुख-दुख का साझेदार बना देता है। हमारे परंपरा प्रधान समाज में विवाह एक ऐसी धार्मिक और सामाजिक संस्था है जो किसी भी महिला और पुरुष को एक साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार देने के साथ-साथ दोनों को कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य भी प्रदान करती है। इसके विपरीत देखा जाये तो समलैंगिक जोड़े अकसर समाज में घृणा के पात्र होते हैं जिससे वे अपमानित होते हैं और समाज में विसंगतियों का जन्म होता है। ऐसे में जरूरी है कि समलैंगिक समुदाय के सदस्यों के प्रति जनता की सोच में सकारात्मक बदलाव हो ताकि समानता के अधिकार को बढ़ावा मिले।
- सामाजिक पिछड़ेपन और रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही समलैंगिक समुदाय के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए अथवा ट्रॉंसजेंडर एक्ट में बदलाव करके उसी कानून में इसकी जगह दी जाए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्र. भारत में समलैंगिक विवाह का मुद्दा बहुत जटिल रहा है, ऐसे में समलैंगिक विवाह से जुड़े नैतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालें।

02 दल–बदल विरोधी कानून में बदलाव की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- हाल ही में पुदुचेरी विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस-डीएमके के गठबंधन वाली वी. नारायणसामी की सरकार सदन में अपना बहुमत पेश नहीं कर पायी। सत्तारूढ़ गठबंधन से दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया जो अविश्वास प्रस्ताव को सफल बनाने के उद्देश्य से दिये गए थे। इससे पहले उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों में विधायकों के दल-बदल के चलते राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो चुकी है। चूंकि दल-बदल विरोधी कानून सांसदों/विधायकों को पार्टी बदलने से रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन पुदुचेरी में हुई इस राजनीतिक घटना ने इस कानून की विसंगति को फिर से उजागर कर दिया है।

दल-बदल विरोधी कानून

- 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता (Disqualify) के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान में एक नयी अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया 'दल-बदल विरोधी कानून' कहा जाता है।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा दसवीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने एक उपबंध को समाप्त कर दिया अर्थात अब विभाजन के मामले में दल-बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जायेगी, बशर्ते कि ऐसे विभाजन में संबंधित दल के कम से कम एक-तिहाई सदस्य शामिल हों।

उद्देश्य

- निर्वाचित सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना
- दल-बदल के लिए सांसदों/विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकना।

अधिनियम के उपबंध

- दसवीं अनुसूची में दल-परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निरर्हता के प्रावधान किए गए हैं।
- किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता के निरर्हक माना जाएगा–
  - यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
  - यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने पंद्रह दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो।
- उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया हो, उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- यदि कोई संसद सदस्य दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 102(2) के तहत संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- इसी प्रकार यदि कोई राज्यविधायिका का सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 191(2) के तहत विधान सभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- हालाँकि दल-परिवर्तन के आधार पर उपरोक्त अयोग्यता निम्नलिखित दो मामलों में लागू नहीं होती–
  - यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट तब मानी जाती है जब एक-तिहाई सदस्य मिलकर सदन में एक नये दल का गठन कर लेते हैं।
  - यदि कोई सदस्य 'विलय' (Merger) के परिणामस्वरूप एक दल से दूसरे दल में शामिल हो जाता है, परंतु ऐसा विलय तभी वैध माना जाएगा जब उस दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य अलग होकर नये दल में विलय करें। उल्लेखनीय है कि ऐसी दशा में जो सदस्य विलय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते, उनकी सदस्यता पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।
- गौरतलब है कि यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है। यह छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है।

दल-बदल विरोधी कानून की आलोचना

- दल-बदल विरोधी कानून को गैर लोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि यह जन-प्रतिनिधियों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है।
- यह जनप्रतिनिधियों के दलगत से ऊपर उठकर अपने स्वतंत्र विचार को रखने व कार्य करने से रोकता है।
- जनप्रतिनिधि विरोधी कानून पार्टी के विचारों व कार्यों को ही लागू करने के लिए सदस्यों को बाध्य करता है चाहे उस पर उनका विचार अलग क्यों न हो।
- कई बार जनप्रतिनिधि इस कानून की वजह से अपने क्षेत्र के लोगों और परिस्थितियों के अनुसार अपना मत व्यक्त नहीं कर पाते क्योंकि उनके दल का मत उससे भिन्न हो सकता है।
- अध्यक्ष/सभापति का पक्षपातपूर्ण व्यवहार: चूंकि अध्यक्ष/सभापति का निर्णय अंतिम होता है, तो ऐसे में यह देखा गया है कि यदि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में दलबदल हुआ है तो अध्यक्ष/सभापति द्वारा दलबदल विरोधी कार्यवाही और निर्णय में देरी की जाती है।
- हालांकि 10वीं अनुसूची पुन: चुने जाने तक उन लोगों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाती है, जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यह प्रावधान तब बेकार हो जाता है जब निर्योग्य घोषित होने वाला व्यक्ति 10वीं अनुसूची की कार्यवाही से पहले ही अपनी सदस्यता और अपने मूल दल से इस्तीफा दे देता है।
- इसके बाद वह उपचुनावों में पुन: नियुक्ति होने से पहले कम से कम 6 महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कर्नाटक में कुछ इसी प्रकार का उदाहरण देखा गया था।

- राज्यपाल की शक्ति का दुरुपयोग: स्पीकर द्वारा दलबदल विरोधी कार्यवाही करने से पहले ही राज्यपाल सदन में शक्ति परीक्षण (Floor Test) निर्देश दे देता है जिससे सरकार ही गिर जाती है। राज्यपाल का यह कृत्य स्पीकर को 10वीं अनुसूची के तहत उसके कार्यों का निर्वहन करने से रोकता है।
- अध्यक्ष/सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव: दलबदल के दोषियों द्वारा इस कानून के तहत होने वाली कार्यवाही को रोकने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसका उदाहरण नबाम रेबिया मामले में देखा गया था, जब दलबदल कि कार्यवाही का सामना कर रहे विधानसभा सदस्यों ने विधान सभा स्पीकर के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव ले आए थे।

दल-बदल विरोधी कानून की खामियों को दूर के लिए महत्वपूर्ण सुझाव:

- आयोग्यता संबंधी निर्णय पर वर्ष 2002 में दिनेश गोस्वामी समिति और न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाली संविधान समीक्षा समिति ने राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा चुनाव आयोग से एक ठोस निर्णय की सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि अयोग्यता उन मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहाँ–
  - एक सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।
  - एक सदस्य वोट देने से परहेज करता है, या अविश्वास प्रस्ताव के वोट में पार्टी व्हिप के विपरीत वोट करता है।
- विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट के अनुसार चुनाव पूर्व चुनावी गठबंधन को दल-बदल विरोधी कानून के तहत एक राजनीतिक दल माना जाना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने को केवल उन मामलों में सीमित करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो।
- इसके अलावा मणिपुर मामले (2020) में सर्वोच्च न्यायालय के सुझाओं को लागू करने की आवश्यकता है:
  - निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष/सभापति के स्थान पर किसी बाह्य निर्णय तंत्र अथवा अधिकरण को निर्णय लेने वाले अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
  - दलबदल के मामलों में निर्णय 3 महीने में अंदर किया जाना चाहिए।
- 10वीं अनुसूची में मौजूद अपवादों जैसे दल-विच्छेद (एक तिहाई सदस्यों द्वारा अलग दल बना लेना) और दल-विलय (दो तिहाई सदस्यों का दूसरे दल में विलय) को समाप्त किया जाना चाहिए।
- जो भी सदस्य अपने दल से इस्तीफा देता है या अयोग्य ठहराया गया है, उसे दलबदल विरोधी कानून के तहत 6 महीने या 1 साल के लिए मंत्री के रूप में नियुक्ति से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- अध्यक्ष/सभापति को सभी प्रमुख दलों द्वारा चुनाव से पहले सर्वसम्मति से चुनने के ब्रिटिश मानदंड अपनाया जा सकता है। इससे अध्यक्ष/सभापति के राजनीतिक और नैतिक दायित्वों में सुधार होता है।
- सदन के मामलों में हस्तक्षेप करने की राज्यपाल की भूमिका को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- सरकारों में स्थिरता व राजनीतिक शुचिता लाने के लिए ही संसद ने दल-बदल विरोधी कानून बनाया था। विधानसभा में किसी दल के विधायकों की संख्या यदि कम है, तो वहां की बड़ी पार्टी उसके दो-तिहाई विधायकों को आसानी से अपने पाले में कर लेती है, जो इस कानून के तहत मान्य है। यदि ऐसा नहीं हो पाता, तो कुछ विधायक सरकार का समर्थन करने के लिए राजी हो जाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष पर दबाव बनाया जाता है कि वह उनकी अयोग्यता संबंधी फैसले लेने में देरी करें। हाल के दिनों में तो विधायकों को इस्तीफा देने के लिए राजी कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है। हालांकि, इस बाबत अध्यक्ष के फैसलों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऐसे कई मामले अदालत तक भी पहुंचे हैं। मगर कभी-कभी अदालती प्रक्रिया में वक्त लगता है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के विरोध में यदि किसी सदस्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है तो उसका फैसला भी तत्काल उसी प्रकार दिया जाना चाहिए जिस प्रकार किसी मुकदमे में जमानत की याचिकाओं पर फैसला दिया जाता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

Topic:

- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्र. दल-बदल विरोधी कानून की खामियों को उजागर करते हुए महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करें।

03 भारत के उत्तर–पूर्वी राज्य : व्यापारिक संभावनाओं के द्वार

चर्चा का कारण

- आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत सरकार ने कई नीतिगत बदलाव किए हैं। आत्मनिर्भरता के केंद्र में सतत विकास के 17 लक्ष्य (एसडीजी) हैं। ये सभी देशों– चाहे वो विकसित हों या विकासशील द्वारा वैश्विक स्तर पर सहभागिता की तात्कालिक और अत्यावश्यक जरूरतों पर बल देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों ने 2015 में सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को स्वीकार किया था। इन 17 एसडीजी में से एसडीजी-9 का मकसद मजबूत बुनियादी ढांचा खड़ा करना, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नई-नई खोजों को प्रोत्साहित करना है। चूंकि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपार प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही यहाँ खनिज तेल और गैस के भंडार तथा नदियों का मजबूत तंत्र मौजूद है जो, ऊर्जा की दृष्टि से इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है, ऐसे में सरकार ने एक्ट ईस्ट की नीति के तहत यहाँ विकास पर विशेष बल दिया है।

परिचय

- भारत के पूर्वोत्तर का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक भू-भाग का 8 प्रतिशत है। ये इलाका देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीन प्रतिशत का योगदान देता है। अपने समृद्ध प्राकृतिक आधार और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के चलते पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और निवेश के मामले में देश का "पावरहाउस" बनने की अपार संभावना मौजूद है। आर्थिक अवसर मुहैया कराने के मामले में पूर्वोत्तर की स्थिति अद्वितीय है। इस इलाके का 98 प्रतिशत सीमा भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र से चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार की सीमा लगती है। सामरिक रूप से भी यहां का भूगोल बेहद अहम है। इस वजह से पूर्वोत्तर का इलाका न सिर्फ आसियान के सदस्य देशों बल्कि दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसियों जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों की भौगोलिक बुनियाद के रूप में काम करता है।

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे पूर्वोत्तर में संभावनाएं

- चूंकि, भारत का पूर्वोतर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, लिहाजा यहां आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा खड़ा करना समावेशी विकास की दिशा में सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति इस इलाके में व्यापारिक संभावनाओं को और खोलने का मौका देती है। मजबूत बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए पूर्वोत्तर भारत में सीमावर्ती इलाकों का विकास और सीमा पार व्यापार की सुविधाएं मुहैया कराना जरूरी है। इस मकसद से सरहद को एक बाधा की तरह न देखकर एक जोड़ने वाले सूत्र के रूप में और अर्थव्यवस्था को खड़ा करने वाली संपदा के तौर पर देखा जाता है।
- हाल के वर्षों में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत के व्यापार में तेज उछाल देखने को मिला है। परोक्ष रूप से इसका ये मतलब निकलता है कि इस इलाके में व्यापार की अपार संभावनाएं मौजूद है। हालांकि, दूसरी रुकावटों के साथ-साथ आपूर्ति-पक्ष की मुश्किलों ने इन दो पड़ोसियों के साथ भारत के सीमा-पार दोतरफा व्यापार को आगे बढ़ने से रोक रखा है।
- बांग्लादेश और म्यांमार के साथ पूर्वोत्तर भारत के व्यापार और आर्थिक संपर्कों के मौजूदा स्तर को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होगी। इनके जरिए यहां की प्रगति सुगम होगी और इस इलाके का आर्थिक अलगाव दूर होगा। त्रिपक्षीय हाई-वे से भारत के कई दूसरे राज्यों के मुकाबले पूर्वोत्तर के राज्यों को ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। यहां के संदर्भ में यथास्थिति बदलने का मतलब यही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करना होगा। बदले में ये सीमा के अंदर और बाहर उत्पादन को और ऊंचे स्तर पर ले जाने में

मददगार साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही औद्योगिकरण से नई खोजों को बढ़ावा मिलेगा और पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को जरूरी प्रोत्साहन मिल सकेगा।

- पूर्वोत्तर भारत अकसर प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बनता रहता है। ऐसे में हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो यहां की जलवायु, भू-क्षेत्र और इलाके की जरूरतों के हिसाब से निर्माण गतिविधियों को और तेज करने में मददगार साबित हो सकें। पूर्वोत्तर भारत में करीब 50 प्रतिशत भू-क्षेत्र जंगलों से घिरा है। यहां विकास की जरूरतों से सामंजस्य बिठाने के लिए कानूनों में उसी हिसाब से बदलाव करने होंगे। इसे साथ ही हमें पूरे पूर्वोत्तर भारत में जमीन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटाइज करना होगा।

सरकारी प्रयास

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधरभूत संरचनाओं सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन आदि में व्यापक निवेश भी किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए कई संगठनो, संस्थाओं, परिषद, एजेंसी, समिति आदि की स्थापना की गई है। पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच का गठन फरवरी 2018 में किया गया था, ताकि हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित, समावेशी लेकिन सतत आर्थिक विकास में विभिन्न बाधाओं की पहचान की जा सके और पहचान की गई बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त सिफारिश की जा सके। यह नीति आयोग द्वारा गठित पहला क्षेत्रीय मंच है।
- पूर्वोत्तर मंच की कार्यसूची में रेल, सड़क और हवाई संपर्क में सुधार, क्षेत्र में जल संसाधन की क्षमता का दोहन, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का विकास और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कार्यनीतियाँ शामिल है।
- इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा एक्ट ईस्ट की नीति के तहत वाणिज्य, संस्कृति और संपर्क को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के अलावा, गंतव्यों एवं परिपथों के लिए उत्पाद अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी) के तहत पर्यटन क्षेत्र में बकाया देयताओं पर भी विचार किया जा रहा है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने के लिये 'बोगीबील पुल' का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा और बांग्लादेश के के बीच रेलवे लाइन को इसी वर्ष तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

चुनौतियाँ

- कई तरह की भौगोलिक कठिनाइयों की वजह से इस क्षेत्र का समुचित विकास एक कठिन कार्य रहा है। चूंकि यह क्षेत्र पहाड़ी है और यहाँ बस्तियां दूर दूर तक फैली है इस कारण यहाँ सड़क परिवहन का विकास एक चुनौती से कम नहीं है।
- पूर्वोत्तर में रेल परिवहन के लिए भी काफी चुनौतियां है। कितने ही प्रयासों के बावजूद आज तक यहाँ सम्पूर्ण रेल परिवहन का विकास संभव नहीं हो सका है।
- पूर्वोत्तर भारत अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बनता रहता है।
- पूर्वोत्तर भारत में निजी निवेश का निम्न स्तर भी एक प्रमुख चुनौती है।
- पूर्वोतर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ज्यादा आर्थिक जुड़ाव से होने वाले फायदों को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता का अभाव भी शामिल है।

आगे की राह

- पूर्वोत्तर भारत में और पुख्ता बुनियादी ढांचा संपर्क स्थापित होने से सीमा पार, खासतौर से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और बांग्लादेश के साथ उत्पाद शृंखला का एक मजबूत जाल तैयार किया जा सकता है। रेल, जलमार्ग और सड़कों के मामले में आंतरिक तौर पर अपर्याप्त जुड़ाव से इस इलाके के आर्थिक एकीकरण की बाधाएं जस की तस बनी रहेंगी। बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थाओं का निर्माण आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा संस्थागत ढांचे में सुधार हो रहे हैं लेकिन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क और आवागमन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं की मदद के लिए इन संस्थाओं को और मजबूत किया जाना जरूरी है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. पूर्वोत्तर भारत में अपार प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद यहाँ विकास की गति धीमी है। पूर्वोत्तर भारत में विकास व पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में संभावनाओं पर प्रकाश डालिये।

04 स्वच्छता सारथी फेलोशिप एवं अपशिष्ट प्रबंधन

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने मिशन 'वेस्ट टू वेल्थ' (Waste to Wealth) के अंतर्गत 'स्वच्छता सारथी फेलोशिप' (Swachhta Saarthi Fellowship) की शुरुआत की है।

प्रमुख बिन्दु

- अपशिष्ट प्रबंधन (waste management) के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों को वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीके से निपटान के लिए काम कर रहे नगर निगम कर्मियों,सफाई कर्मियों, स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और छात्रों को मान्यता देने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने मिशन 'वेस्ट टू वेल्थ' के अंतर्गत 'स्वच्छता सारथी फेलोशिप' की शुरुआत की है।
- भारत एक विविधतापूर्ण संस्कृति वाला देश है, जिसके समक्ष अलग-अलग जीवनशैली और अलग-अलग परंपराओं के कारण अनेक पर्यावरणीय चुनौतियां हैं। कचरा प्रबंधन में एक मुद्दा कचरा उत्पादित करने का है जिसके गहरे निहितार्थ हैं जो आमतौर पर कचरा उत्पादित करते हैं वह प्राय: इसका निपटान नहीं करते हैं।

स्वच्छता सारथी फेलोशिप

- यह फेलोशिप उन युवा नवोन्मेषियों को सशक्त करने के लिए एक पहल है, जो अपशिष्ट प्रबंधन, जागरूकता अभियान, अपशिष्ट सर्वेक्षण/अध्ययन इत्यादि के कार्यों में सामुदायिक स्तर पर 'स्वच्छता सारथी' के रूप में लगे हुए हैं।
- यह प्रयास अपशिष्ट को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को क्रियान्वित किए जाने के लिए है, ताकि पृथ्वी को और हरा-भरा बनाया जा सके।
- स्कूलों और कॉलेजों के युवा छात्र और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्य कर रहे आम नागरिक (या स्वतंत्र रूप से काम कर रहे नागरिक) कचरा प्रबंधन के लिए विभिन्न समुदायों को संवेदनशील बनाने और कचरे को उपयोगी स्वरूप देने के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस फेलोशिप का उद्देश्य उन इच्छुक छात्रों और नागरिकों को सशक्त करना है, जो निरंतर अपने प्रयासों से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे को कम करने में लगे हुए हैं।

- 'स्वच्छता सारथी फेलोशिप' उन लोगों के कार्यों को मान्यता देता है जो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हैं और वैज्ञानिक तथा टिकाऊ पद्धति से कचरे के प्रबंधन में अपने दायित्व या अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर अनुकरणीय कार्य करते हैं।
- यह फेलोशिप भारतीय समुदाय की सहभागिता के जमीनी स्तर को लक्षित करेगा और भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए नागरिकों के प्रयासों को मान्यता देगा।
- सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित 'स्वच्छता सारथी फेलोशिप'ऐसे छात्रों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित करता है जिन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अब तक कार्य किया है या वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। इसमें जागरूकता अभियान से लेकर सर्वेक्षण और अध्ययन भी शामिल हैं।

अपशिष्ट पदार्थ

- अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है, जो रोज कारखानों, ऑफिस,घरों,एवं अन्य इमारतों की साफ-सफाई के बाद एकत्रित होता है तथा जिसे हम कचरापात्र या सड़क और नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं।

अपशिष्ट के प्रकार

- **घरेलू अपशिष्ट-** घरों से निकलने वाला कचरा घरेलू अपशिष्ट कहलाता है जिसमें कागज, काँच, बोतल, डिब्बे, बेकार पड़े कपड़े, रसोईघर में फल व सब्जियों का कचरा, अनुपयोगी खाद्य पदार्थ आदि आते हैं। पार्टियों, धार्मिक और सामाजिक अवसरों के समय घरेलू अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है।
- **औद्योगिक अपशिष्ट-** विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ ऊर्जा संयंत्र खनन प्रक्रियाएँ जो अपशिष्ट छोड़ते हैं। वे औद्योगिक अपशिष्ट कहलाते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य स्रोत होते हैं। इनके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण आदि प्रदूषण होते हैं।
- **चिकित्सकीय अपशिष्ट-** अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जैसे काँच, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सीरिंज आदि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। इसके अलावा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जैसे रक्त, मांस के टुकड़े, संक्रमित उत्तक व अंग है जो रोगों के संक्रमण का कारक है।
- **कृषि अपशिष्ट-** कृषि में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में प्रयोग में लिए गए उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी, कवक नाशी आदि रसायनों से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है।

अनुपयोगी भूसा, घास-फूस,फसल अपशिष्ट, पत्तियाँ आदि एकत्रित होने पर वर्षा जल से सड़ने वाले कृषि अपशिष्ट होते हैं और इनमें होने वाली जैविक क्रियाओं से प्रदूषण होता है।

अपशिष्ट प्रबंधन एवं आधुनिक विधियाँ

- अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) से तात्पर्य है कि प्रत्येक प्रकार के अपशिष्ट को एकत्रित करना और उसके उपचार हेतु उचित प्रक्रिया को अपनाना है।
- अपशिष्ट प्रबंधन के द्वारा अपशिष्ट को वेल्थ के रूप में बदला जाता है। भारत सरकार 'वेस्ट टू वेल्थ' (Waste to Wealth) मिशन को सफल बनाने हेतु कई प्रयास भी कर रही है।
- 3-आर (3-R) की अवधारणा-3-R अर्थात पुन: उपयोग (Reuse), कम उपयोग (Reduce), और पुन: चक्रण (Recycle)। यह ठोस प्रबंधन का महत्वपूर्ण तरीका है।
- **शून्य अपशिष्ट प्रणाली-** उद्योगों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को सरल बनाकर और अपने अपशिष्ट प्रबंधन को केन्द्रीकृत करके, इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- **विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी-**इसके तहत उत्पादक ही कचरे का प्रबंधन करते हैं। दरअसल ईपीआर पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु एक रणनीति है। इस सिद्धान्त के तहत यह माना जाता है कि यदि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उत्पादों के अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी उत्पादन करने वाली कंपनियों को दी जाएगी तो वे पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित होंगी।
- **कचरे का एकत्रीकरण-** सूखे तथा गीले कचरे को अलग-अलग संग्रह करना चाहिए, ताकि इनका निपटान उचित प्रक्रिया से हो सके।
- **भौतिक पुन: परिष्करण-** पुनर्चक्रण का लोकप्रिय अर्थ व्यापक संग्रह और रोजाना अपशिष्ट पदार्थों का पुन: प्रयोग को संदर्भित करता है जैसे कि खाली पेय पात्र, अखबार और कांच की बोतलें आदि सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर इनका पुनर्चक्रण किया जाता है।
- **ऊर्जा के रूप में ठोस अपशिष्ट-** ओखला, दिल्ली थर्मल ट्रीटमेंट में एनर्जी प्लांट के ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त की जाती है तथा अपशिष्ट को कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और राख में बदल दिया जाता है। यह कचरे से ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने का एक साधन है।
- **जैविक उपचार विधियाँ-** इसमें कचरे के जैव निम्नीकरणीय घटकों को विघटित करने के लिये सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, इसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं-
  - **एरोबिक-** यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें विंड्रो कम्पोस्टिंग तथा इन पॉट कम्पोस्टिंग तथा वर्मी कल्चर शामिल हैं।
  - **एनारोबिक-**ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें लैंडफिल तथा ओपन डम्पिंग शामिल है।

अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ

- प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा
- ऊर्जा क्षमता में बढ़ोत्तरी
- प्रदूषण में कमी
- अपशिष्ट पुनरावृत्ति
- पर्यावरण सुरक्षा

अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ

- अपशिष्ट प्रबंधन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव।
- अपशिष्ट संयंत्रों की अक्षमता।
- जागरूकता का अभाव।
- अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।

सरकारी प्रयास

- **'वेस्ट टू वेल्थ' (Waste to Wealth) मिशन:** यह मिशन प्रधानमंत्री की 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद' (Prime Ministers Science Technology and Innovation Advisory Council, PM-STIAC) के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।
- कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम Construction and Demolition (C-D) Waste Management Rules
- ई-कचरा प्रबंधन नियम-2016 E-waste (Management) Rules-2016
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 (Solid Waste Management Rules-2016)

आगे की राह

- भारत सरकार को अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक उपयुक्त नीति चाहिए, जिसके द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लघुकालीन व दीर्घकालीन दोनों प्रकार के लक्ष्यों को साधा जा सके।
- इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता भी फैलानी चाहिए ताकि इसमें आम आदमी की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जा सके।
- अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर उद्योगों, अस्पतालों आदि पर कानूनी प्रावधान के साथ 'कर' आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. भारत में अपशिष्ट प्रबंधन में से जुड़े चुनौतियों की चर्चा करते हुए, एक व्यापक व अपशिष्ट प्रबंधन नीति की आवश्यकता पर बल दीजिए।

05 ईरान परमाणु समझौते की बहाली : संभावनाएं एवं चुनौतियां

चर्चा का कारण

- अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से वाशिंगटन ने महत्वाकांक्षी ईरान परमाणु समझौते या संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) को पुनर्जीवित करने का संकेत दिया है जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर होने की घोषणा की थी, बावजूद इसके कि अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों, जिन्होंने इस मसौदे में अमेरिका के साथ हस्ताक्षरकर्ता थे, उन्होंने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। ईरान अपनी इस मांग पर अडिग है कि जब तक ट्रंप द्वारा लगाए गए अवैध प्रतिबंधों से उसे छूट नहीं मिलती है, वह वार्ता की मेज पर नहीं आएगा। वहीं बाइडेन प्रशासन 2015 के परमाणु समझौते को पटरी पर वापस लाना चाहता है, लेकिन तेहरान से इसे अपेक्षा के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है।

ऐतिहासिक घटनाक्रम

- वर्ष 2015 में वियना में ईरान और P5$1 देशों (चीन, फ्राँस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ) के बीच संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) के नाम से एक समझौता हुआ। इसी को आम भाषा में ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से विश्वास बहाली को कायम करने के प्रयास में, ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जेसीपीओए को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया था।
- बराक ओबामा के कार्यकाल में किए गए इस परमाणु समझौते से अलग होते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अप्रासंगिक और बेकार करार दिया था। ट्रंप का मानना था कि यह समझौता ईरान की परमाणु गतिविधियों पर एक नियत समय के लिए रोक लगाता है और ये मिसाइलों के विकास को रोकने में नाकाम रहा है। साथ ही इससे ईरान को 100 अरब डॉलर मिल गए जिसका इस्तेमाल उसने हथियार हासिल करने, चरमपंथ को बढ़ावा देने और पूरे मध्य पूर्व में दमन के लिए किया। ट्रंप ने ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिये अधिकतम दबाव (maximum pressure) की रणनीति अपनाई। अमेरिका के इस समझौते से अलग होने के निर्णय की जेसीपीओए में शामिल अन्य सदस्यों (यूरोपीय सहयोगियों सहित) ने आलोचना की क्योंकि उस समय तक ईरान इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन कर रहा था जिसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (international Atomic Energy Agency - IAEA) द्वारा प्रमाणित भी किया गया था।
- अमेरिका द्वारा इस समझौते से पीछे हटने के एक वर्ष तक ईरान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उसे विश्वास था कि को E-3 (फ्रांस, जर्मनी, यू.के.) और यूरोपीय संघ ने अमेरिका के फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए एक समाधान खोजने का वादा किया था। वर्ष 2019 में जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने ईरान के साथ एक अलग पेमेंट चैनल बनाने की घोषणा की थी जिसे इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज (Instrument In Support Of Trade Exchanges-INSTEX) के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करके ईरान के साथ व्यापार जारी रखना था, लेकिन मई 2019 तक तेहरान का रणनीतिक धैर्य (strategic patience) टूट गया क्योंकि वह E-3/यूरोपीय संघ से प्रत्याशित आर्थिक राहत पाने में विफल रहा। जैसे-जैसे अमेरिका की ईरान पर प्रतिबंधों को चोट पहुंचनी शुरू हुई वैसे-वैसे तेहरान ने 'अधिकतम प्रतिरोध' (maximum resistance) की रणनीति अपनायी।
- ईरान और अमेरिका के बीच पिछले साल तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब उसने ईरान के शीर्ष जनरल को हवाई हमले में मार दिया था और देश पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके जवाब में ईरान ने तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था और आसपास के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर फायरिंग भी की थी।

ईरान द्वारा जेसीपीओए की अनदेखी

- मई 2019 से ईरान ने जेसीपीओए की बाध्यताओं से स्वयं को दूर करना शुरू कर दिया। ईरान ने निम्न समृद्ध यूरेनियम पर 300 किलोग्राम और भारी जल (heavy water) पर 130 मीट्रिक टन की सीमा को पार करने के साथ संवर्द्धन स्तर को 3.67% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने उन्नत सेंट्रीफ्यूज पर अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के साथ फोर्डो (Fordow) में फिर से संवर्धन शुरू कर दिया। यूरेनियम इकट्ठा करने की निर्धारित मात्रा को बढ़ाना और यूरेनियम संवर्धन के स्तर को स्वीकृत सीमा से पार करना स्वतः ही यह संदेह पैदा करता है कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
- अमेरिका द्वारा जनवरी 2020 में, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी सोलेमन पर ड्रोन हमले के बाद, तेहरान ने घोषणा की कि वह अब JCPOA की बाधाओं का पालन नहीं करेगा, हालांकि IAEA के साथ उसका सहयोग जारी रहेगा।

ईरान का परमाणु समझौता

- ईरान में दो जगहों, नाटांज और फोर्डो में यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु हथियारों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
- जुलाई 2015 में ईरान के पास 20 हजार ऐसे मशीनी केंद्र थे, जहां यूरेनियम के रासायनिक कणों को अलग किया जाता था।
- ज्वाइंट एंड कम्प्लीट एक्शन प्लान के तहत इसकी संख्या 5,060 तक सीमित करने को कही गई थी। ईरान ने वादा किया था कि वो अपने यूरेनियम का भंडार 98 फीसदी तक घटाकर 300 किलोग्राम तक करेगा। साथ

ही बचे हुए हिस्से की निगरानी अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों से कराने पर वह राजी हो गया था।

- जनवरी 2016 में ईरान ने यूरेनियम केंद्रों की संख्या कम की और सैंकड़ों किलोग्राम लो-ग्रेड यूरेनियम रूस भेजा था। समझौते के तहत शोध और विकास के कार्यक्रम सिर्फ नाटांज में अधिकतम आठ सालों तक किया जा सकेगा। वहीं, फोर्डो में अगले 15 सालों तक इस पर रोक लगाने की बात कही गई है।

अमेरिका- ईरान वार्ता से जुड़ी चुनौतियाँ

- डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले से इजरायल और सऊदी अरब प्रसन्न थे, लेकिन ट्रम्प की 'अधिकतम दबाव' की रणनीति ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने में विफल रही है साथ ही मध्य पूर्व में कट्टरपंथियों की स्थिति मजबूत हुई है।
- ईरान के साथ सीमित व्यापार की सुविधा के लिए 2019 में E-3/यूरोपीय संघ के वादे के बाद भी INSTEX का पहला लेन-देन केवल मार्च 2020 में हुआ। ईयू-ईरान व्यापार 2018 में 18 बिलियन यूरो से गिरकर 2019 में एक तिहाई से भी कम हो गया और पिछले साल और गिरा।
- हाल ही में आईएईए की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि इस्फहान (Isfahan) में यूरेनियम धातु का 20% संवर्धन शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र के एक ब्लॉक के रूप में लामबंद होने और दूसरी ओर ईरान, कतर और तुर्की के साथ आने से, बाइडेन के लिए कोई भी कदम उठाना और नीतिगत फैसला लेना टेढ़ी खीर है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी सहयोगियों के रूप में सऊदी अरब को बाईपास करना मुश्किल हो सकता है।
- JCPOA का अन्य महत्वपूर्ण तत्व ईरानी परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता था। इसलिए ईरान के इस समझौते से हटने का अर्थ यह होगा कि अन्य देश ईरानी परमाणु कार्यक्रम में क्या चल रहा है, नहीं जान पाएंगे। ऐसे में ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर अन्य देशों में एक संदेह की स्थिति पैदा होगी और ईरान के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब जैसे देशों समेत पहले से अस्थिर मध्य-पूर्व क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने का खतरा है।
- इससे अमरीका और इजरायल जैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के विरोधी देशों को ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर सैन्य हमला करने का मौका मिल जाएगा जिससे टकराव की स्थिति युद्ध में बदल सकती है। यह यह भी उल्लेखनीय है कि अगर स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर धक्का लगेगा क्योंकि युद्ध से फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हाइड्रोकार्बन के समृद्ध भंडार पर खतरा आ जाएगा।
- ईरान के क्षेत्रीय विस्तार और तेहरान से बगदाद, सीरिया और लेबनान तक फैले उसके सशस्त्र सैन्य बल पर नजर रखना व लगाम कसना एक बड़ी चुनौती है।

अमेरिका- ईरान वार्ता से जुड़े भारत के हित

- भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल आयात पर काफी हद तक निर्भर है। भारत में लगभग 80 फीसदी कच्चा तेल विदेश से आता है। ईरान ही भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। भारत के ईरान के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध रहे हैं। भारत में रणनीतिक महत्व की चाहबार बंदरगाह के विकास में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इस क्षेत्र में चाहबार बंदरगाह की मदद से भारत की अफगानिस्तान तथा उससे भी आगे मध्य एशिया के देशों तक पहुंच बन गई है। हालांकि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA) के मद्देनजर भारत ने ईरान से अब तेल आयात काफी कर दिया है। अगर JCPOA में अमेरिका शामिल होता है तो ईरान को कई प्रतिबंधों से छूट मिल जाएगी जिससे भारत भी लाभान्वित होगा।
- ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर अफगानिस्तान मे दिखेगा। अफगानिस्तान में भारतीय हित हैं और अफगानिस्तान में भारत के पहुंचने का रास्ता ईरान का चाबहार बंदरगाह है, इसलिए भारत पर सीधा असर अफगानिस्तान में होने वाले परिवर्तन पर पड़ेगा। ईरान अगर अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों पर चोट करेगा तो इसका सीधा असर तालिबान पर पड़ेगा। तालिबान मजबूत होगा और भारत के हितों के खिलाफ तालिबान हमेशा रहा है। इससे नुकसान भारत को होगा।

आगे की राह

- फारस की खाड़ी क्षेत्र के देशों को सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता और संभावित परमाणु प्रसार को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेरिका सहित मध्य पूर्व के देशों को अपने आपसी मतभेदों को हल करने के लिए राजनयिक तौर-तरीकों का पता लगाना चाहिए और समाधान ढूँढना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

Topic:

- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्र. संयुक्त व्यापक कार्य योजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएं कि अमेरिका-ईरान में तनाव से भारत एवं मध्यपूर्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

06 ऑपरेशन ग्रीन्स : एक व्यापक रणनीति की जरूरत

संदर्भ

- केन्द्रीय बजट 2021-22 में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का दायरा बढ़ा हुए इसमें 22 नए उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की गई है। ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) को टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) से परे खराब होने वाली वस्तुओं तक विस्तारित किया जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ नहीं किया है कि ऑपरेशन ग्रीन्स में किन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। किन्तु कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की गति मूल्य स्थिरीकरण के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में बहुत धीमी है। इस गति से योजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

परिचय

- कृषक उत्पादक संगठनों (Farmer Producers Organisation), कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन के प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 में "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक नई स्कीम " ऑपरेशन ग्रीन्सस" की घोषणा की गई थी। इसके बाद, भारत सरकार ने टमाटर, प्याज एवं आलू (Top) की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक स्कीम का निरूपण किया।
- केंद्र सरकार की टॉप (Tomato, Onion व Potato) स्कीम के तहत कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की योजना थी। इस योजना को चलाने का दायित्व खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिया गया था। इसमें किसान उत्पादक संगठन के गठन के साथ उन्हें पोस्ट हार्वेस्टिंग में नुकसान रोकने जैसी तकनीक को अपनाने और इन संवेदनशील फसलों की खेती पर जोर देना था। इसमें प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना, प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और प्रमुख आलू उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब को प्रोडक्शन क्लस्टर क्षेत्र बनाया गया है।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के उद्देश्य

- ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि इसमें भारत की तीन सबसे प्रमुख सब्जियों टमाटर, प्याज एवं आलू (टॉप) के मामले में व्यापक मूल्य अस्थिरता शामिल होना चाहिये।
- इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कृषि-रसद प्रसंस्करण सुविधाएं और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये किसान उत्पादक संगठन को सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
- टमाटर, प्याज एवं आलू क्लस्टरों में यथोचित उत्पादन योजना और दोहरे उपयोग वाली किस्मों को शामिल करते हुए उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण।
- खेत स्तर पर अवसंरचना का सृजन, उपयुक्त कृषि-लॉजिस्टिक्स का विकास, यथोचित भंडारण क्षमता का सृजन तथा उपभोग केंद्रों से जुड़ान द्वारा फसलोत्तर हानियों में कमी की जाएगी।
- उत्पादन क्लस्टरों के साथ सुदृढ़ लिंकेज सहित टमाटर, प्याज एवं आलू की मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता एवं मूल्यवर्धन में बढ़ोत्तरी की जाएगी।
- मांग और आपूर्ति तथा टमाटर, प्याज एवं आलू फसलों के मूल्य के संबंध में सही आंकड़े इकट्ठा करने और उन्हें समानुक्रमित करने के लिए एक बाजार आसूचना नेटवर्क की स्थापना की जाएगी।

ऑपरेशन ग्रीन्स के क्रियान्वयन में समस्याएँ

- टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम दिलाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को शुरू किया गया था, लेकिन इस योजना का न तो किसानों को फायदा हो रहा है और न ही उपभोक्ताओं को सही दाम पर उत्पाद मिल रहे हैं। पिछले साल के आखिर में भी आलू और प्याज की कीमतें काफी बढ़ गई थीं। बेमौसम बारिश से नई फसल बाजार में नहीं आ पाई और भंडारण में रखी प्याज भी खराब हो गई। अर्थात मूल्य स्थिरीकरण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।
- जिन राज्यों को प्रोडक्शन क्लस्टर क्षेत्र बनाया जाना था व जिन सभी राज्यों में किसानों की मदद के लिए इन जगहों पर प्रोसेसिंग यूनिट लगनी थी, वहाँ इस संदर्भ में कोई खास प्रगति नहीं हो पायी है। अभी तक आंध्र प्रदेश में टमाटर के लिए एक, गुजरात में आलू के दो और प्याज के लिए महाराष्ट्र में दो इंडस्ट्री शुरू हो पाई हैं।
- इसके अतिरिक्त, इस योजना का अन्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि किसानों को फसल की कीमत का अधिकतम मूल्य मिले, लेकिन इस दिशा में भी योजना में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है, लेकिन जब किसानों को प्याज के सही दाम मिलने वाले होते हैं तो वो बारिश से खराब हो जाती हैं।
- पिछले वर्ष लॉकडाउन में बाजार न मिलने से किसानों को फल और सब्जियां फेंकनी पड़ी थीं। अगर किसानों के पास भंडारण की सुविधा होती तो फलों और सब्जियों को फेंकना न पड़ता। भारत, फल और सब्जियों के उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। केन्द्रीय कटाई उपरान्त अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के सर्वे के अनुसार देश में 4.58% से 15.88% सब्जियां और फल हर साल खराब हो जाते हैं।
- भारत में 374.25 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 8,186 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 2,406, इसके बाद गुजरात (969), पंजाब (697), महाराष्ट्र

(619), पश्चिम बंगाल (514) जैसे राज्य आते हैं। इनमें से ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज आलू रखने के हिसाब से बनाए गए हैं।

- कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत के तहत 'टॉप टू टोटल सब्सिडी' कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें टमाटर, प्याज, आलू के साथ ही 19 फलों को शामिल किया गया था। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे छह महीनों के लिए लागू किया गया था, जिसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इन 19 फलों में लीची भी शामिल है, जो बिहार के कई जिलों में उत्पादित होती है, लेकिन लीची को ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं किया जा सकता, कि ऐसे में ये फल खराब हो जाते हैं।
- दुग्ध क्षेत्र में बागवानी क्षेत्र के विपरीत स्थिति है। अमूल जैसी सहकारी समितियों में उपभोक्ताओं के द्वारा किए गए भुगतान का किसानों को लगभग 75-80 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। यद्यपि ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन फ्लड से अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि-ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत प्रत्येक कमोडिटी की अपनी विशिष्टता, उत्पादन और खपत चक्र है।
- वर्तमान मे इस योजना के क्रियान्वयन और विनियमन के लिए खाद्य प्रसंस्करण ही नोडल एजेंसी है। इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा ही इस योजना का नेतृत्व किया जा रहा है, जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और समय-समय पर अलग-अलग मंत्रालयों में इनका स्थानांतरण भी होता रहता है। इसलिए उसकी जवाबदेही तय नहीं हो पाती है।
- इस योजना के लिए उत्पादों के अनुसार क्लस्टर बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इन क्लस्टरों के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं है जिससे कुछ महत्वपूर्ण जिलों को क्लस्टरों की सूची से शामिल नहीं किया जाता है, जबकि कम महत्वपूर्ण जिलों को शामिल कर लिया जाता है, जैसे: टमाटर के मामले में नासिक जोकि एक प्रसिद्ध टमाटर उत्पादक क्षेत्र होने साथ ही यहाँ पिंपलगाँव में सबसे बड़ी टमाटर की मंडी भी है, को क्लस्टर में शामिल नहीं किया गया है, जबकि ओडिशा (केंदुझार और मयूरभंज), गुजरात (आनंद और खेड़ा) और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से कम महत्वपूर्ण जलों को शामिल किया गया है।
- बिहार में नालंदा को प्याज क्लस्टर में शामिल किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला (जो सफेद प्याज के लिए उत्पादन करने वाला क्षेत्र है) को छोड़ दिया गया है।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को सफल बनाने के सुझाव

- किसी भी योजना के अच्छे परिणाम तत्काल दिखाई नहीं पड़ते है, 'ऑपरेशन फ्लड' के माध्यम से लगभग 20 वर्षों बाद दुग्ध मूल्य श्रृंखला में दक्षता और समावेशीकरण को प्राप्त किया जा सका। हालांकि ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन फ्लड में कमोडिटी के रूप में एक ही वस्तु दूध की समरूपता के विपरीत है, बावजूद इसके ऑपरेशन फ्लड की सफलता के अनुकरण से ऑपरेशन ग्रीन्स को सफल बनाया जा सकता है।
- जिस प्रकार से ऑपरेशन फ्लड के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गयी थी उसी प्रकार ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।
- इस नए बोर्ड का नेतृत्व करने के लिए वर्गीज कुरियन की तरह बागवानी क्षेत्र में मूल्य श्रृंखलाओं को एक अलग आकार देने के लिए प्रतिबद्धता और क्षमता रखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाना चाहिए, जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और वह राजनीतिक दबाव से मुक्त हो।
- उस व्यक्ति के लिए कम से कम पांच वर्ष के कार्यकाल के साथ साथ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जाएं ताकि वास्तविक परिणामों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

आगे की राह

- बजट 2021-22 में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया गया है। अतः वस्तुओं को शामिल करने और क्लस्टर चयन में मात्रात्मक और पारदर्शी मापदंड अपनाने और राजनीतिक समूहों के दबाव को दरकिनार किए जाने की आवश्यकता है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऑपरेशन ग्रीन्स जैसी योजनाओं का सफल होना अति आवश्यक है।
- सरकार द्वारा बजट में बागवानी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ अतिरिक्त 10,000 FPO बनाने की घोषणा की गयी है, जिसे तेजी से लागू करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का संछिप्त परिचय देते हुए इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं की चर्चा करें।

07 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में संशोधन की मांग

चर्चा का कारण

- हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act-NFSA), 2013 में प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा पत्र (Discussion Paper) प्रस्तुत किया।

नीति आयोग का प्रस्ताव

- नीति आयोग ने अपने चर्चा पत्र में सिफारिश की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी कवरेज जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 50 प्रतिशत है, को घटाकर क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक कर दिया जाये।
- नीति आयोग ने कहा है कि यदि यह कवरेज कम होती है, तो एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की संख्या घटकर 71.62 करोड़ हो जाएगी (2020 में अनुमानित जनसंख्या के आधार पर)। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में ये बदलाव करने के लिए, सरकार को एनएफएसए (NFSA) की धारा 3 की उपधारा (2) में संशोधन करना होगा। इसके लिए उसे संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

वर्तमान में खाद्य सुरक्षा का कवरेज

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने पात्र परिवारों (eligible households) को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराया है। इसके अंतर्गत अंतर्गत कुल ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या का 50 प्रतिशत लाभान्वित हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में 81.35 करोड़ व्यक्ति एनएफएसए के तहत लाभ प्राप्त करते हैं।

केंद्र और राज्यों के लिए प्रस्तावित संशोधन का निहितार्थ

- यदि खाद्य सुरक्षा के कवरेज को वर्तमान अनुपात से प्रस्तावित अनुपात की ओर संशोधित किया जाता है, तो केंद्र सरकार को इससे 47,229 करोड़ रुपये की बचत

हो सकती है। हालाँकि, इस कदम का कुछ राज्यों द्वारा विरोध किया जा सकता है।
- दूसरी ओर, यदि ग्रामीण-शहरी कवरेज अनुपात 75-50 रहता है, तो कवर किए गए लोगों की कुल संख्या मौजूदा 81.35 करोड़ से बढ़कर 89.52 करोड़ हो जाएगी यानि नवीनतम जनसंख्या (अनुमानित 2020 की आबादी पर आधारित) संबंधी आँकड़ों के आधार 8.17 करोड़ लोग और शामिल हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप 14,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

- सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस अधिनियम में,लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी कवर की जाएगी। पात्र व्यक्ति चावल/ गेहूं/मोटे अनाज क्रमशः 3/ 2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार,जिनमें निर्धनतम व्यक्त शामिल हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे।
- इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रूपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। हकदारी के खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य

सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। यह निर्णय लिया गया है कि किसी राज्य द्वारा एक विशेष राज्य खाद्य आयोग का गठन करने का निर्णय लिए जाने के मामले में, केन्द्र सरकार राज्य खाद्य आयोग के लिए गैर-भवन परिसम्पत्तियों हेतु एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तदनुसार, इस विभाग की अम्ब्रेला स्कीम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत एक घटक अर्थात राज्य खाद्य आयोगों के लिए गैर-भवन परिसम्पत्तियों हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता शामिल किया गया है।

चुनौतियाँ

- बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन एवं कोरोना के व्यापक खतरे के मद्देनजर भारत जैसे बड़े देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। नीति आयोग की सिफारिश को अगर सरकार द्वारा मान लिया जाता है तो इससे समाज के गरीब वर्ग नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- इसके अतिरिक्त कई राज्यों द्वारा इस कदम का विरोध यह कहकर किया जा सकता है कि, यह प्रस्ताव संघवाद की मूल भावना के विपरीत है।
- संयुक्त राष्ट्र ने 25 सितम्बर, 2015 को सतत विकास का नया एजेंडा तय करते हुए 2030 तक दुनिया से भूख की समस्या समाप्त करने का संकल्प लेकर 'जीरो हंगर' को सतत विकास के 17 लक्ष्यों में शामिल किया है। भारत में देखा जाये तो 81.35 करोड़ जनसंख्या को अगर खाद्य सुरक्षा की गारंटी नई मिली तो 'जीरो हंगर' के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।
- भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वार्षिक 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2020' पर 107 देशों में भारत का स्थान 94वां है। इससे पता चलता है कि भुखमरी की समस्या भारत में कितनी गम्भीर है।

आगे की राह

- खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सफलता के लिए सरकार को दूरदराज, दुर्गम स्थलों, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को इस कानून के तहत प्राप्त सुविधाएँ मुहैया कराने पर विशेष जोर देना होगा। भारत कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है। यहाँ अधिकांश किसान छोटे और मझोले हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। इसलिये देश में खाद्य सुरक्षा अनवरत रहे और इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आए।
- इस कानून का क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र के माध्यम से हो रहा है। समय-समय पर कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि पीडीएस में 40 प्रतिशत से ज्यादा लीकेज है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो अनाज गरीबों के लिये सस्ती दर पर उपलब्ध कराती है, उसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में इस कानून के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और निगरानी का ठोस प्रबंध करने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में प्रस्तावित संशोधन से पात्र परिवार गरीबी के दुश्चक्र से उबर नहीं पाएंगे। चर्चा कीजिये।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 अगालेगा द्वीप

1. चर्चा का कारण

- भारतीय सेना द्वारा हिंद महासागर में स्थित अगालेगा द्वीप का तेजी से एक रणनीतिक चौकी के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है। विदित हो कि इस द्वीप को मॉरीशस ने भारतीय सेना को लीज पर दिया है।

2. अगालेगा द्वीप

- अगालेगा द्वीप मॉरीशस के उत्तर में लगभग 1,000 किलोमीटर (620 मील) की दूरी पर हिंद महासागर में स्थित मॉरीशस का एक बाहरी द्वीप है।
- मॉरीशस ने अगालेगा द्वीप को एक रणनीतिक चौकी के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय सेना को लीज पर दिया गया है।

3. अगालेगा द्वीप का सामरिक महत्व

- भारत ने दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर की निगरानी के लिए एक हवाई और नौ सैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए 2015 में अगालेगा द्वीप को मॉरीशस से प्राप्त किया था।
- भारत यहाँ अन्य देशों जैसे ब्रिटेन-अमेरिका के सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया के समान ही अपना सैनिक अड्डा विकसित कर रहा है।
- अगालेगा द्वीप में सैन्य अड्डा बनने से भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी।
- हिंद महासागर में पड़ोसी देश चीन की बढ़ती पकड़ से भारत के लिए लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, इस लिहाज से यह भारत के लिए बड़ी रणनीतिक बढ़त बन सकता है।
- भारत ने इस द्वीप में विकास की गतिविधियों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मॉरीशस में बनने वाले इस मिलिट्री बेस में भारत अपनी नौसेना के P8I विमानों के बेड़े तैनात कर सकता है जिसके माध्यम से दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- यहाँ से भारत, फ्रांस (रीयूनियन द्वीप) के साथ मिलकर संयुक्त पेट्रोलिंग को संचालित कर सकता है।
- यह सैन्य अड्डा भारत को मोजाम्बिक चैनल पर समुद्री गश्त की सुविधा भी देगा, जो कि बड़े वाणिज्यिक जहाजों, विशेष रूप से तेल टैंकरों के लिए एक लोकप्रिय मार्ग है।
- यह सैन्य अड्डा भारतीय नौसेना को दक्षिण अफ्रीका के आस-पास शिपिंग मार्गों का निरीक्षण करने में सक्षम बनाएगा, ये मार्ग चीन के ऊर्जा आयात के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं।
- इसके अलावा यह द्वीप संचार और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया सुविधाओं के लिए एक उपयोगी स्थान प्रदान करेगा।
- समग्र रूप में अगालेगा सैन्य अड्डा दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा और भारत सागर विजन (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करेगा।

4. क्या है सागर नीति

- समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा 2015 में सागर (Security And Growth for All in the Region-SAGAR) नीति की शुरुआत की गई थी।
- सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
- इस नीति का एक उद्देश्य हिन्द महासागर के छोटे और द्वीपीय देशों के साथ नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना भी है।

5. मॉरीशस के बारे में

- मॉरीशस हिन्द महासागर में स्थित अफ्रीकी महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है और अफ्रीकन यूनियन का सदस्य भी है।
- यहाँ की आबादी लगभग 12.8 लाख है जिसमें से लगभग 48% लोग हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं।
- मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुईस है और यहाँ की मुद्रा मॉरीशस रुपया है।

02 मैरीटाइम इंडिया समिट-2021

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट-2021 (Maritime India Summit-2021) का उद्घाटन किया गया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट-2021 (Maritime India Summit-2021) का उद्घाटन किया है।
- इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व को भारत में आने और भारत की विकास गति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री क्षेत्र में प्रगति के लिए उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है और विश्व की एक अग्रणी ब्लू इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है।
- उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के उन्नयन तथा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत का लक्ष्य 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को मजबूत बनाना है।

3. भारत में बंदरगाहों का उन्नयन

- भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बंदरगाहों के विकास हेतु काफी निवेश किया है।
- भारत में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता वर्ष 2014 में 870 मिलियन टन थी उसे बढ़ाकर अब 1550 मिलियन टन कर दिया गया है।
- भारतीय बंदरगाहों में अब डाइरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, डाइरेक्ट पोर्ट एंट्री और उन्नत पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस) जैसे उपाए किए गए हैं ताकि डेटा का सरल प्रवाह बना रहे।
- इसके अलावा, भारतीय बंदरगाहों में आने वाली और बाहर जाने वाली कार्गो के लिए प्रतीक्षा समय कम कर दिया है।
- वधावन पारादीप और कांडला में दीनदयाल बंदरगाह में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ मेगा बंदरगाहों को विकसित किया जा रहा है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2016 में बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने हेतु सागरमाला परियोजना की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 6 लाख करोड़ रुपये की लागत से 574 से अधिक परियोजनाओं की 2015 से 2035 के दौरान कार्यान्वियन के लिए पहचान की गई है।

4. ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में अन्य सरकारी प्रयास

- **घरेलू जलमार्ग:** घरेलू जलमार्ग माल ढुलाई के लिए सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन होते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करने का है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा कोच्चि, मुंबई, गुजरात और गोवा जैसे प्रमुख राज्यों और शहरों में शहरी जल परिवहन प्रणालियां शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
- **प्रकाश स्तंभ:** वर्तमान में भारत की विशाल तट रेखा पर लगभग 189 प्रकाश स्तंभ हैं। भारत सरकार ने 78 प्रकाश स्तंभों के आसपास की भूमि पर पर्यटन विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य मौजूदा प्रकाश स्तंभों का विकास करना और इनके आसपास के क्षेत्रों को विशिष्ट समुद्री पर्यटन स्थलों में विकसित करना है।
- **बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय:** हाल ही में भारत सरकार ने शिपिंग मंत्रालय को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का नया नाम देकर समुद्री क्षेत्र के दायरे का विस्तार किया है ताकि इस क्षेत्र में समग्रता से विकास हो सके। उल्लेखनीय है कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने लगभग 400 निवेश योग्य परियोजनाओं की एक सूची तैयार की है। इन परियोजनाओं में 31 बिलियन डॉलर या 2.25 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता है।
- **घरेलू जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत बाजार:** भारत सरकार घरेलू जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत बाजार पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। घरेलू जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय शिपयार्ड के लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति को मंजूरी दी गई है। जहाजों की मरम्मत करने वाले क्लस्टरों को 2022 तक दोनों तटों (पूर्वी व पश्चिमी) के साथ विकसित किया जाएगा।
- **मैरीटाइम इंडिया विजन-2030:** भारत सरकार ने मैरीटाइम इंडिया विजन-2030 को घोषित किया है। यह सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है।
- **मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर:** हाल ही में भारत सरकार द्वारा मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर की भी शुरूआत की गई है। यह समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव क्षमताओं तथा समुद्री पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु एक सूचना प्रणाली है।
- **वेल्थ फ्रॉम वेस्ट:** भारत सरकार 'वेल्थ फ्रॉम वेस्ट' के सृजन हेतु घरेलू जहाज रिसाइक्लिंग उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। भारत ने जहाज रिसाइक्लिंग अधिनियम, 2019 को लागू किया है और हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के बारे में सहमति व्यक्त की है।
- **द्वीप बुनियादी ढांचे और इकोसिस्टम का समग्र विकास:** भारत सरकार द्वीपीय बुनियादी ढांचे और इकोसिस्टम के समग्र विकास पर ध्यान दे रही है।
- **समुद्री क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत सरकार समुद्री क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु उल्लेखनीय प्रयास कर रही है। सरकार देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर सौर और पवन-आधारित बिजली प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक भारत के सभी बंदरगाहों पर खपत होने वाली कुल ऊर्जा का 60 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा हो।

03 अशमनीय अपराध

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने मोहित सुभाष चव्हाण बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले की सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोपी से पूछा कि क्या वह पीड़िता से विवाह करेगा या नहीं? जबकि बलात्कार एक अशमनीय (non-compoundable) अपराध है।
- इस संदर्भ में सीजेआई शरद अरविंद बोबडे को एक पत्र लिखते हुए चार हजार से अधिक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील समूह और नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा 'नाबालिग से बलात्कार के आरोपी युवक से पीड़िता से विवाह करने की बात पूछने और मैरिटल रेप को सही ठहराने को लेकर उनसे पद छोड़ने की मांग की है।

2. सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए शब्दों के निहितार्थ

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा कहे गए शब्दों का समाज में बहुत प्रभाव होता है। इनके पास नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का विस्तार करने और कबीलाई, जातिगत, तथा पितृसत्ता के असमान मूल्य प्रणालियों से उनकी रक्षा करने की शक्ति है।
- ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बलात्कार के आघात के बदले में विवाह के प्रस्ताव प्रस्तुत करना पीड़िता के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज के लिए अत्यधिक आक्रामक और प्रतिगामी विचार है।

3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गए फैसले

- हाल के वर्षों में कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा दुष्कर्म के मामले में यह तर्क दिया कि चूंकि पीड़िता व अपराधी में समझौता हो गया है, इसलिए सजा को कम किया जाना जायज है। मप्र उच्च न्यायालय ने गुना सत्र न्यायालय द्वारा धारा 376 (दुष्कर्म) के अंतर्गत दी गई सजा को धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत बदल दिया था। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2015 में मध्य प्रदेश बनाम मदनलाल मामले में दिया गया निर्णय मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों में साफ कहा है कि इसमें किसी भी तरह से अपराधी को दी गई सजा से समझौता नहीं हो सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि कई बार अदालतें अपीलीय स्तर पर हस्तक्षेप कर इस तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर निर्णय लिख देते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था की आत्मा ही मर जाती है।
- गौरतलब है कि इससे पहले हरियाणा बनाम शिंभु मामले (2014) में भी अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्याय के हित में तथा पीड़ित को अनावश्यक दबाव व उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक है कि पार्टियों के बीच समझौते पर कतई ध्यान नहीं दिया जाए। हरियाणा बनाम शिंभु मामले में निर्णय देते हुए न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास के मामले में किसी भी स्थिति में समझौते की अवधारणा सोची ही नहीं जा सकती। बलात्कार ऐसा मामला नहीं है, जिसे सुलह और समझौता करने के लिए दोनों पक्षों पर छोड़ा दिया जाना चाहिए।
- हरियाणा बनाम शिंभु मामले (2014) में शीर्ष अदालत ने कहा कि सबसे अधिक महत्व महिला का सम्मान है, जिसके विरुद्ध कोई समझौता अथवा निपटान नहीं हो सकता। कई बार अपराधी द्वारा पीड़ित से विवाह कर सांत्वना देने का प्रयास होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि पीड़ित पर ऐसा कर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया जाता है। अदालतें में ऐसे अपराधों में इस प्रकार के कारणों के चलते दोषी के प्रति नरमी कतई नहीं दिखाई जा सकती। न्यायालय ने कहा कि किसी भी प्रकार का उदार रवैया अथवा मध्यस्थता की सोच को कतई वैधानिक अनुमति नहीं है।

4. शमनीय एवं अशमनीय अपराध

- भारतीय दंड संहिता की धारा 320 का संबंध उन अपराधों से है जिनमें कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता हो सकता है तथा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौता कोर्ट की अनुमति से होता है।
- जिन अपराधों में दो पक्षों के बीच समझौता हो जाता है उन अपराधों को शमनीय अपराध (compoundable offences) कहा जाता है और जिन अपराधों में दोनों पक्षों के बीच में समझौता नहीं होता है उन अपराधों को अशमनीय अपराध (Non Compoundable Offences) कहा जाता है। जिन अपराधों में न्यायालय की अनुमति के बिना भी समझौता हो सकता है उनको CRPC के सेक्शन 320(1) में दिया गया है। हालांकि इस समझौते की जानकारी पुलिस को देनी पड़ती है। जिन मामलों में न्यायालय की सहमति से समझौता हो सकता है उनको CRPC के सेक्शन 320(2) में दिया गया है।

04 इथियोपिया में शांति बहाली जरूरी

1. चर्चा का कारण

- इथियोपिया अपने टाइग्रे क्षेत्र (Tigray region) में हो रही सैन्य-हिंसा के कारण गृहयुद्ध की चपेट में है। टाइग्रे में संघर्ष की शुरुआत वर्ष 2020 के अंत में हुई, जब प्रधानमंत्री अबी अहमद ने इस प्रांत की सत्तारूढ़ पार्टी टीपीएलएफ (Tigray Peoples Liberation Front-TPLF) को हटाने के लिए एक आक्रामक अभियान छेड़ दिया। गौरतलब है कि इथियोपिया सरकार टाइग्रे की राजधानी मेकेले (Mekele) को अपने नियन्त्रण में लेना चाहती है।
- गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में इथोपिया में हुई एक जातीय हिंसा के दौरान कथित तौर पर हुए नरसंहार में कम से कम 102 सामान्य नागरिक मार दिए गए थे। यह हमला प्रधानमंत्री अबी अहमद वहां यात्रा के एक दिन बाद हुआ था। इसके बाद ही उन्होने विद्रोहियों से निपटने के लिए सेना को कार्रवाई करने की अनुमति दे दी थी।

2. प्रमुख बिन्दु

- इथियोपिया में आंतरिक संघर्ष के परिणामस्वरूप 52,000 लोग मारे गए और 2 मिलियन से अधिक का विस्थापन हुआ, जिनमें से 60,000 से अधिक लोगों ने सूडान की पूर्वी सीमा में शरण ली है। इससे इथियोपिया के उत्तरी सीमांत के पास सूडानी और एरिट्रिया के सैन्य कर्मियों की आमद शुरू हो गई है।
- वर्तमान में इथियोपिया अपने घरेलू आपातकाल से निपटने का प्रयास कर रहा है। इस चरण में एक सैन्य संघर्ष-मुक्त वातावरण हासिल करना, बढ़े हुए विस्थापन को संबोधित करना, अकाल के जोखिम को देखते हुए नागरिकों के लिए बुनियादी जरूरतों की सहायता करना और संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता को तेज करना बड़ी चुनौती है।
- उत्तरी गोंदर क्षेत्र (Northern Gondar Zone) के शहर, जैसे वेलकैट (Welkait), जो दशकों से टीपीएलएफ बलों के नियंत्रण में रहे हैं, को संघर्ष के पश्चात सामाजिक, आर्थिक पुनरोद्धार की मदद की दरकार होगी।

3. टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट

- टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) की स्थापना वर्ष 1975 में एक सैन्य संगठन के रूप में की गई थी। टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट कथित तौर पर इथियोपिया की तानाशाही सरकार के विरुद्ध टाइग्रे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये संघर्ष कर रहा है।
- टाइग्रे में ज्यादातर लोग इथियोपियाई रूढ़िवादी ईसाई हैं। यहां 1,600 साल से ईसाई रह रहे हैं। यहां की प्रमुख भाषा टिग्रिनिया है। यह सेमेटिक बोली है जिसे दुनिया भर में कम से कम 70 लाख लोग बोलते हैं।
- टीपीएलएफ ने वर्ष 1991 में इथियोपिया की तत्कालीन सैन्य सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया फलस्वरूप यह सैन्य तानाशाही सरकार को सत्ता से हटाने में सफल हो गया। इस घटनाक्रम के बाद से ही इसे इथियोपिया में भारी समर्थन प्राप्त।
- 1991में ही टीपीएलएफ नेता मेल्स जनावी ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला और 1995 में पहले निर्वाचित प्रधान मंत्री बने। मेल्स जनावी 2012 तक सत्ता में बने रहे और उन्हें बड़े पैमाने पर देश की जातीय-संघीय व्यवस्था (ethno-federal system) के वास्तुकार के रूप में देखा जाता है।

4. हॉर्न ऑफ अफ्रीका

- पूर्वी अफ्रीका के भौगोलिक क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां जाता है। यह अफ्रीकी भूमि का सर्वाधिक पूर्वी विस्तार है जिसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया शामिल है। उल्लेखनीय है कि यह सारे देश ना केवल भौगोलिक रूप से एक समान है बल्कि इनमें सांस्कृतिक समानता भी विद्यमान है।
- इथियोपिया भूमिबद्ध (लैंडलॉक) देश है।

5. आगे की राह

- एक स्पष्ट रूपरेखा के बिना इस देश में शांति-निर्माण, संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और संक्रमणकालीन न्याय (transitional justice) संभव नहीं है। इथियोपिया में गृहयुद्ध का प्रभाव हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र (Horn of Africa region) पर पड़ता है, जो पहले से ही निम्न-स्तरीय संघर्षों (low-level conflicts), असमान आर्थिक विकास (uneven economic development), सीमा विवादों (border disputes), खाद्य असुरक्षा (continued food insecurity), जलवायु परिवर्तन (climate change), एक अनिश्चित राजनीतिक स्थिति (a precarious political situation) और एक गंभीर शरणार्थी संकट (dire refugee crisis) से ग्रस्त है।

05 भारत और यूरोपीय संघ

1. चर्चा का कारण

- यूरोपीय संघ के साथ मजबूत संबंध बनाने से भारत को विनिर्माण में मदद के साथ निर्यात में मदद मिल सकती है। भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर बहुपक्षीय व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई है। दोनों ही पक्षों ने ये माना है कि आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बहुपक्षीयवाद की अधिक आवश्यकता है।

2. भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार

- आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम और बजट 2021-22 ने आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने एवं आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात पर बल दिया है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत को यूरोपीय संघ (ईयू) जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ निवेश शुल्क और आयात शुल्क की चरण-वार कटौती के माध्यम से, आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देना होगा।
- भारत की यूरोपीय संघ और पश्चिमी यूरोप में 39.9 बिलियन डॉलर की अप्रयुक्त निर्यात क्षमता (अप्रयुक्त निर्यात क्षमता का अर्थ-जब निर्यातक जागरूकता की कमी या कठिनाई के चलते उपभोक्ता की वरीयताओं या आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता) है।
- निर्यात क्षमता वाले शीर्ष उत्पादों में परिधान, रत्न और आभूषण, रसायन, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक शामिल हैं। भारत इन उत्पादों में से कई के लिए यूरोपीय संघ के सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता (सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों को बाजार में कुछ शर्तों के साथ न्यूनतम शुल्क या शुल्क मुक्त प्रवेश देते हैं।) से लाभान्वित होता है। वास्तव में, भारत यूरोपीय संघ के जीएसपी के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है, जीएसपी के तहत भारत ने वर्ष 2019 में लगभग 19.4 बिलियन डॉलर निर्यात किया है। भारत का लगभग 37% व्यापारिक निर्यात यूरोपीय संघ को किया जाता है।
- हालाँकि, ऐसे कई उत्पाद हैं जहाँ भारत की यूरोपीय संघ में निर्यात क्षमता है, लेकिन ये ग्रेजुएटेड (graduated) हैं या यूरोपीय संघ के जीएसपी के तहत ग्रेजुएशन (graduation) के कगार पर हैं। ग्रेजुएशन का मतलब है कि जीएसपी लाभार्थी देश अपने विशिष्ट उत्पादों के विशेष समूहों का निर्यात नहीं कर पाता है, जबकि उस देश से उत्पादों के अन्य समूहों के आयात को तरजीह दी जाती है।
- भारत के उत्पाद जैसे कपड़ा, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, रत्न और आभूषण, लोहा, इस्पात और उनसे निर्मित वस्तुएँ, बेस मेटल्स और मोटर वाहन जैसे उत्पाद पहले से ही जीएसपी लाभों के दायरे से बाहर हैं।
- वर्ष 2019 में परिधान में, यूरोपीय संघ के लिए भारत का निर्यात 7 बिलियन डॉलर था। इस बीच भारत को बांग्लादेश जैसे परिधान निर्यात देश से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, बांग्लादेश भी यूरोपीय संघ से जीएसपी टैरिफ का लाभ ले रहा है। एक अन्य प्रतियोगी देश वियतनाम ने 2019 में यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) संपन्न किया। यूरोपीय संघ में भारत की घटती तरजीह को बरकरार करने की आवश्यकता है साथ ही व्यापार और निवेश संबंधों को और गहरा करने की आवश्यकता है।

3. यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता

- भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता लटका हुआ है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ और भारत, विश्व व्यापार संगठन में एक बेहद कटु व्यापारिक विवाद में भी उलझे हुए हैं। भारत ने सूचना और संचार तकनीक (ICT) की कुछ वस्तुओं पर आयात पर शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया था। जिसके बाद यूरोपीय संघ ने भारत के इस कदम को विश्व व्यापार संगठन के विवाद निस्तारण संस्था में चुनौती दी है। हालांकि भारत, यूरोपीय संघ के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) के लिए तैयार है।

4. आगे की राह

- भारत के लिए यूरोपीय संघ से आने वाले निवेश को तेजी से सुरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि कोविड-19 के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं बाधित हो गयी हैं और व्यापार, निर्माण और निर्यात में गिरावट आ रही है। इसके अलावा बहुत से देश अब मुक्त व्यापार के बजाय संरक्षणवादी व्यवस्था को तरजीह दे रहे हैं, ताकि वो अपने घरेलू उद्योग धंधों को वैश्विक स्तर पर प्रतिद्वंदिता से बचा सकें। इसीलिए, आज जरूरत इस बात की है कि भारत और यूरोपीय संघ वास्तविक बहुपक्षीयवाद को बढ़ावा देने के लिए मिलजुलकर प्रयास करें।

06 बाओ धान– असम का लाल चावल

1. चर्चा का कारण

- भारत की चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में "लाल चावल" की पहली खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया है।

2. लाल चावल

- चावल की इस किस्म को "बाओ धान" कहते हैं।
- यह चावल आयरन से भरपूर होता है।
- इसकी पैदावार असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में होती है।
- इसे किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है।
- यह असमिया भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है।
- बाओ धान चावल का निर्यात, प्रमुख चावल निर्यातक 'एलटी फूड्स' द्वारा किया जा रहा है।
- लाल चावल की इस खेप को एपीडा (एपीईडीए) के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु ने हरियाणा के सोनीपत से रवाना किया।

3. लाभ

- इस लाल चावल के निर्यात में वृद्धि होने के साथ ही इससे ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान परिवारों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।
- भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है। इस लक्ष्य को पाने हेतु कृषि उत्पादों(यथा- बाओ धान चावल आदि) के निर्यात में बढ़ोत्तरी होना अति आवश्यक है।
- गौरतलब है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख हिस्सा हैं। इसलिए भारत सरकार इन राज्यों के विकास में प्रमुख तौर पर ध्यान दे रही है। इसी के चलते भारत सरकार यहाँ के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है।
- कृषि क्षेत्र के विकास से भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी की भी समस्या दूर होगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के बढ़ने से यहाँ अलगाववाद की समस्या भी कम होगी, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा व राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा बनी हुई है।

4. चावल निर्यात संवर्धन मंच (आरईपीएफ)

- भारत सरकार ने एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट अथॉरिटी(एपीडा) के अंतर्गत चावल निर्यात संवर्धन मंच (Rice Export Promotion Forum- REPF) की स्थापना की है।
- आरईपीएफ चावल उद्योग, निर्यातकों, एपीईडीए, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा सहित प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के निदेशकों का प्रतिनिधित्व करता है।

5. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA) की स्थापना दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- एपीडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक प्राधिकरण है।
- इसे फल, सब्जियों और उनके उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, पॉल्ट्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद, शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद, कोको और इसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट, मादक और गैर-मादक पेय, अनाज और अनाज उत्पाद, मूंगफली और अखरोट, अचार, पापड़ और चटनी, ग्वार गम, फूल और फूल उत्पाद, हर्बल और औषधीय पौधे जैसे उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

07 ग्रीनलैंड में दुर्लभ मृदा तत्त्व एवं पर्यावरण

1. चर्चा का कारण

- दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड में दुर्लभ मृदा तत्त्वों (Rare Earth Element -REE) की प्रचुरता है, यहाँ शक्तिशाली मजबूत मैग्नेट (super-strong magnets), जिनका उपयोग पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, लड़ाकू विमान और हथियार प्रणालियों जैसे बिजली के उपकरणों को बनाने में किया जाता है।
- गौरतलब है कि दुर्लभ मृदा तत्त्व 17 दुर्लभ धातु तत्त्वों का समूह है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह (क्रस्ट) में पाए जाते हैं।

2. ग्रीनलैंड में दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज

- धातुएँ विश्व स्तर पर प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन उन्हें संसाधित करना कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ उत्पादन के मोर्चे पर सफलता अर्जित नहीं की इसलिए उसने लगभग 20 साल पहले चीन को इस क्षेत्र को सौंप दिया था।
- ऑस्ट्रेलिया की दो खनन कंपनियां- एक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फंडिंग है तो दूसरी चीनी स्वामित्व वाली फर्म है, वहाँ खुदाई करने के लिए प्रयासरत हैं।
- टोरंटो स्थित कंसल्टेंसी एडमस इंटेलिजेंस (Adamas Intelligence) के अनुसार, दुर्लभ मृदा तत्वों के कई उपयोग हैं और पिछले साल चीन ने उनमें से लगभग 90% का उत्पादन किया। यू.एस.-चीन के तनाव के कारण राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने कहा कि अब अमेरिका की सेना नें दुर्लभ मृदा तत्त्वों (Rare Earth Element-REE) के प्रसंस्करण की तकनीकी में निवेश की इच्छा जाहिर की है। इसके अतिरिक्त अमेरिका का प्रयास रहेगा कि अन्य देश दुर्लभ मृदा तत्त्वों से संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ हथियार नहीं बना पाएँ।
- वर्तमान में आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव के इस प्रदेश में बर्फ के नीचे तेल के विशाल भंडार भी छिपे हुए हैं। अनुमान है कि 50 अरब टन तेल वहाँ छिपा हुआ है।

3. ग्रीनलैंड में तेल भंडार की संभावना

- आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव के इस प्रदेश में बर्फ के नीचे तेल के विशाल भंडार छिपे हुए हैं। अनुमान है कि 50 अरब टन तेल वहा छिपा हुआ है। यह एक बहुत ही बड़ी मात्रा है। हालांकि ग्रीनलैंड में रहने वाले आदिवासियों के सबसे लोकप्रिय नेता आंगांगाक का मानना है कि अगर ड्रिल्लिंग करते वक्त किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उत्तरी ध्रुव की बहुत ही नाजुक पर्यावरण प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचेगा जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
- ग्रीनलैंड के लोग आर्थिक विकास चाहते हैं। किन्तु पर्यावरण की कीमत पर नहीं।

4. ग्रीनलैंड

- उत्तरी ध्रुव के बहुत पास स्थित यह द्वीप डैनमार्क का एक स्वायत्त प्रदेश है। क्षेत्रफल के मामले में ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और ब्रिटेन से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके 20 लाख वर्ग किमी. में चट्टान और बर्फ है।
- ग्रीनलैंड का 85% भाग 1.9 मील मोटी (3 किमी) बर्फ की चादर से ढका है। इसमें दुनिया का 10% ताजा पानी है।
- ग्रीनलैंड की जनसंख्या सिर्फ 57 हजार है जो इंग्लैंड के लगभग एक शहर के बराबर है। यहां की 88 प्रतिशत जनसंख्या इनूएट की है और बाकी डेनिश (डेनमार्क की भाषा बोलने वाले) लोग रहते हैं।
- ग्रीनलैंड जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहा है। जुलाई में यहां बड़ी मात्रा में बर्फ पिघली थी तथा करीब 12 बिलियन टन बर्फ समुद्र में बह गई।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 अगालेगा द्वीप

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अगालेगा द्वीप अटलांटिक महासागर में अवस्थित है।
2. अगालेगा द्वीप मॉरीशस का हिस्सा है, जिसे भारतीय सेना को लीज पर दिया गया है।
3. भारत ने सामरिक महत्व को देखते हुए 2015 में अगालेगा द्वीप को मॉरीशस से प्राप्त किया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या : अगालेगा द्वीप हिन्द महासागर में अवस्थित है। अगालेगा द्वीप मॉरीशस का हिस्सा है, जिसे भारतीय सेना को लीज पर दिया गया है। भारत ने सामरिक महत्व को देखते हुए 2015 में अगालेगा द्वीप को मॉरीशस से प्राप्त किया था। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

02 मैरीटाइम इंडिया समिट-2021

प्र. मैरीटाइम इंडिया समिट-2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस समिट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढ़ांचे का उन्नयन तथा ईज ऑफ डूईग बिजनेस को बढ़ावा देना है।
2. 2016 में बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने हेतु सागरमाला परियोजना की घोषणा की गयी थी।

उपरोक्त कथन में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या : इस समिट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढ़ांचे का उन्नयन तथा ईज ऑफ डूईग बिजनेस को बढ़ावा देना है। वर्ष 2016 में बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने हेतु सागरमाला परियोजना की घोषणा की गयी थी। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

03 अशमनीय अपराध

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जिन अपराधों में दो पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, उन अपराधों को अशमनीय अपराध कहा जाता है।
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 325 का संबंध उन अपराधों से जिनमें कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता हो सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या : जिन अपराधों में दो पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, उन अपराधों को शमनीय अपराध कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 का संबंध उन अपराधों से जिनमें कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता हो सकता है। इस तरह दोनों कथन गलत है, अतः उत्तर (d) होगा।

04 इथियोपिया में शांति बहाल जरूरी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इथियोपिया अपने टाइग्रे क्षेत्र में हो रही सैन्य-हिंसा के कारण गृहयुद्ध की चपेट में है।
2. टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLE) की स्थापना वर्ष 1975 में एक सैन्य संगठन के रूप में की गयी थी।

उपरोक्त कथन में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या : इथियोपिया अपने टाइग्रे क्षेत्र में हो रही सैन्य-हिंसा के कारण गृहयुद्ध की चपेट में है। टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLE) की स्थापना वर्ष 1975 में एक सैन्य संगठन के रूप में की गयी थी। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

05 भारत और यूरोपीय संघ

प्र. यूरोपीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत का लगभग 37% व्यापारिक निर्यात यूरोपीय संघ को किया जाता है।
2. निर्यात क्षमता वाले शीर्ष उत्पादों में रत्न, आभूषण, रसायन और मशीनरी शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः भारत का लगभग 37% व्यापारिक निर्यात यूरोपीय संघ को किया जाता है। निर्यात क्षमता वाले शीर्ष उत्पादों में रत्न, आभूषण, रसायन और मशीनरी शामिल है। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

06 बाओ धानः असम का लाल चावल

प्र. असम का लाल चावल 'बाओ धान' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह चावल आयरन से भरपूर होता है।
2. बाओ धान चावल का निर्यात 'एलटी फूड्स' द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों में किया जाता है।
3. इस चवाल का उत्पादन असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः यह चावल आयरन से भरपूर होता है। बाओ धान चावल का निर्यात 'एलटी फूड्स' द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों में किया जाता है। इस चवाल का उत्पादन असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में होती है। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

07 ग्रीनलैंड में दुर्लभ मृदा तत्व एवं पर्यावरण

प्र. दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Element) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह 17 दुर्लभ धातुओं तत्वों का समूह है, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह (क्रस्ट) में पाए जाते है।
2. ग्रीनलैंड में दुर्लभ मृदा तत्वों की प्रचुरता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2 दोनों
(c) केवल 2 (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः यह 17 दुर्लभ धातुओं तत्वों का समूह है, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह (क्रस्ट) में पाए जाते है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ मृदा तत्वों की प्रचुरता है। इस तरह दोनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (b) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज चाँदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) प्रोद्योगिकी पर आधारित फ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया।

प्रमुख बिंदु

- बूस्टर मोटर तथा नोजल रहित मोटर प्रणालियों पर आधारित इस परीक्षण में यथोचित सफलता प्राप्त हुई।
- प्रयोग के दौरान, ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट प्रोद्योगिकी सहित अनेक नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण सम्पन्न हुआ।
- मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी आईटीआर (इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज) द्वारा तैनात एलेक्ट्रो ऑप्टिकल रडार और टेलीमेट्री उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए आंकड़ों का प्रयोग करके की गयी थी।
- इस प्रक्षेपण की निगरानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल), अनुसंधान केंद्र (आरसीआई) और हाई एनर्जी मैटेरियल रिसर्च लेबोरेट्री (एचईएमआरएल) सहित विभिन्न रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों ने की।

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) तकनीक

- यह डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मिसाइल प्रोपल्शन तकनीक है।
- यह नोजल रहित मोटर तथा बूस्टर मोटर प्रणाली पर आधारित एक प्रक्षेपण रॉकेट है।
- इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है।
- इसमें अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे मिसाइल का वजन काफी कम हो जाता है।

उपयोग एवं लाभ

- सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) तकनीक के सफल परीक्षण से भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी लाभ प्राप्त हुआ है।
- इस तकनीक के इस्तेमाल से भारत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें विकसित कर पाने में सक्षम होगा।
- यह तकनीक दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के ही पास उपलब्ध है।

02 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स (ईओएलआई)

चर्चा में क्यों

- केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स (ईओएलआई) और नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (एमपीआई) 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की।
- इस प्रक्रिया में कुल 111 शहरों ने भाग लिया।
- दोनों ही विश्लेषण में इन शहरों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया।

परिणाम

- ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स(ईओएलआई) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर

मुंबई का स्थान रहा।

- 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे और तिरुचिरापल्ली रहे।

नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (एमपीआई)

- इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा, इसके बाद सूरत एवं भोपाल का नाम है।
- 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद प्रथम स्थान पर रही, इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर रहे।
- एमपीआई द्वारा 111 नगर पालिकाओं की पाँच वरटिकलों में क्षेत्रवार किए गए प्रदर्शन की जांच की गयी।
- इनमें कुल मिलाकर 20 क्षेत्र और 100 संकेतक शामिल हैं।
- एमपीआई के तहत पाँच वरटिकल हैं- सेवाएँ, वित्त, नीति, प्रोद्योगिकी और शासन।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है?

- यह एक मूल्यांकन उपकरण है जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलों के प्रभाव का आकलन करता है।
- इस मूल्यांकन में सिटीजन पर्सेप्शन सर्वे (सीपीएस) के माध्यम से नगर के प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बारे में नागरिकों के द्रष्टिकोण भी शामिल है।

इस सर्वेक्षण का भारांक 30 प्रतिशत रखा जाता है।

- यह कुल तेरह श्रेणियों में जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता के स्तंभों के माध्यम से मौजूदा जीवन की स्थिति को बढ़ावा देने वाले परिणामों की जांच करता है। इनका परिणाम में कुल 70 प्रतिशत योगदान है।
- ये श्रेणियाँ हैं- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आश्रय, डब्ल्यूएएसएच और एसडब्ल्यूएम, गतिशीलता, रक्षा और सुरक्षा, मनोरंजन, आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक अवसर, पर्यावरण, ग्रीन स्पेस और भवन, ऊर्जा खपत, और शहर का लचीलापन।
- सिटीजन पर्सेप्शन सर्वे (सीपीएस) को सेवा की आपूर्ति के संदर्भ में अपने शहर के नागरिकों के अनुभव को मान्यता देने में मदद के लिए शुरू किया गया था।

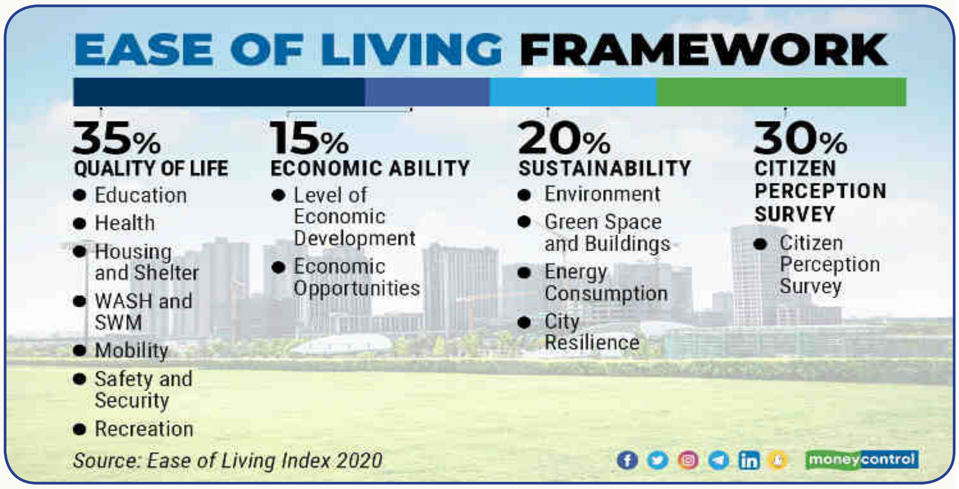

Source: Ease of Living Index 2020

- यह मूल्यांकन 16, जनवरी 2020 से 20, मार्च 2020 तक आयोजित किया गया था।
- इस सर्वेक्षण में 111 शहरों के कुल 32.2 लाख नागरिकों ने भाग लिया।
- सीपीएस स्कोर में भुवनेश्वर का पहला स्थान रहा, इसके बाद सिलवासा, दावणगेरे, काकीनाडा, बिलासपुर और भागलपुर का स्थान रहा।

नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक (एमपीआई) क्या है?

- नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के सहायक के रूप में लॉन्च किया गया था।
- यह सेवाओं, वित्त, नीति, प्रोद्योगिकी और शासन के सभी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में स्थानीय शासन प्रणाली की जांच करता है।
- यह स्थानीय शासन प्रणाली में जटिलताओं का सरलीकरण और मूल्यांकन करने के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के लोकाचार को भी बढ़ावा देता है।
- ईओएलआई के दायरे को बढ़ाकर इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए, देश में पहली बार नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक मूल्यांकन भी शुरू किया गया।
- ईओएलआई, सूचकांक के केवल एक परिणाम को मापता है, जबकि नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक उन घटकों पर ध्यान केन्द्रित करता है जो उन परिणामों को पैदा करते हैं।
- नगर पालिका कार्य प्रदर्शन उन तत्वों की पहचान करने का काम करता है जो वितरण तंत्र, योजना, वित्तीय प्रणालियों और शासन प्रक्रिया में कुशल स्थानीय शासन के बाधक बनते हैं।
- नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक नगरपालिकाओं की कार्य क्षमता और उनकी विकास क्षमताओं की सीमा के बारे में सक्षम जानकारी प्रदान करता है।
- सूचकांक के माध्यम से नागरिक अपनी स्थानीय सरकार के प्रशासन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इससे जनसामान्य में शासन प्रणाली के प्रति पारदर्शिता व विश्वास का भाव पैदा होता है।
- इस ढांचे में 20 विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इनके नाम हैं- शिक्षा, स्वास्थ्य, पंजीकरण और परमिट, बुनियादी ढांचा, राजस्व प्रबंधन, व्यय प्रबंधन, राजकोषीय जिम्मेदारी, राजकोषीय विकेन्द्रीकरण, डिजिटल प्रशासन, डिजिटल पहुँच, डिजिटल साक्षारता, योजना तैयार करना, योजना लागू करना, योजना प्रवर्तन, पारदर्शिता, और जवाबदेही, मानव संसाधन, भागीदारी और प्रभावशीलता।

महत्व

- दोनों सूचकांक शहरी जीवन के विभिन्न मापदण्डों के बारे में पूरे देश के शहरों के कार्य प्रदर्शन का पता लगाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करते है।
- ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स परिणामी संकेतकों की पुष्टिकर्ता है, तथा नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक सक्षम इनपुट मापदण्डों को ग्रहण करता है।
- ये सूचकांक जीवन की बेहतर गुबवातता, बिनयादी ढांचे का निर्माण, शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों के आधार पर शहरों का समग्र मूल्यांकन उपलब्ध कराते हैं।

03 एरीज-देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा

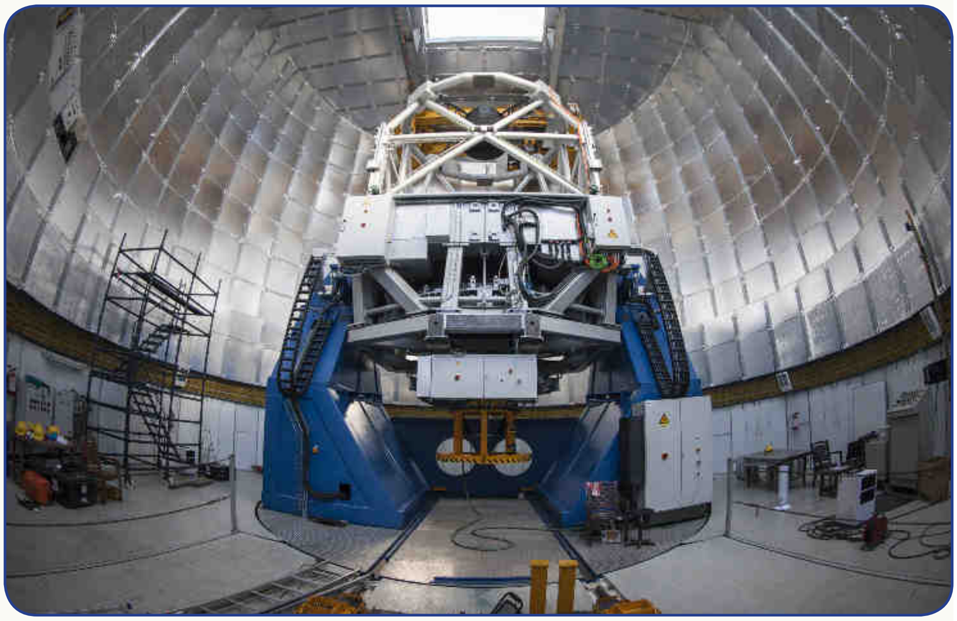

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में विकसित ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ (Optical Spectrograph) को '3.6 एम देवस्थल ऑप्टिकल टेलिस्कोप (डीओटी)' पर सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

प्रमुख बिन्दु

- इस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), नैनीताल में विकसित किया गया है।
- इस स्पेक्ट्रोग्राफ का नाम एरीज-देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा (एडीएफओएससी) है।
- यह नए ब्रह्मांड, आकाशगंगाओं के आसपास मौजूद ब्लैक होल्स से लगे क्षेत्रों और ब्रह्मांड में होने वाले धमाकों में दूरस्थ तारों और आकाशगंगाओं से निकालने वाली हल्की रोशनी के स्रोत का पता लगा सकता है।
- यह विदेशों से आयातित स्पेक्ट्रोग्राफ की तुलना में 2.5 गुना सस्ता है। यह लगभग 1 फोटोन प्रति सेकंड की दर से प्रकाश स्रोत का पता लगा सकता है।
- यह उपकरण अत्यंत धुंधले आकाशीय स्रोत के लिए 3.6-एम डीओटी के लिए काफी अहम है, जो विशेष कांच से बने कई लेंसों की एक जटिल संरचना है।
- इसमें टेलिस्कोप के द्वारा दूरस्थ आकाशीय स्रोतों से आने वाले फोटोनों को संग्रहित करके स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा विभिन्न रंगों में क्रमबद्ध किया जाता है। इसके बाद एक विशेष कैमरे के उपयोग से एलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड योग्य संकेतों में बदल दिया जाता है।
- यह विशेष कैमरा घरेलू स्तर पर विकसित माइनस 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडे किए जाने वाले चार्ज-कपल्ड डिवाइस (सीसीडी) कैमरा होता है।

देवस्थल ऑप्टिकल टेलिस्कोप (Devsthal Optical Telescope)

- यह एक क्लियर अपर्चर टेलिस्कोप है, जो नैनीताल, उत्तराखंड में स्थापित है।
- इसे 31 मार्च 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा बेल्जियम के प्रधान मंत्री श्री चार्ल्स माइकल के द्वारा शुरू किया गया।
- 3.6 एम देवस्थल टेलिस्कोप, एशिया का सबसे बड़ा टेलिस्कोप है।

04 डेजर्ट फ्लैग VI युद्धाभ्यास

चर्चा में क्यों

- डेजर्ट फ्लैग-VI युद्धाभ्यास (EX Desert FLAG VI) में भारतीय वायुसेना भाग ले रही है।

प्रमुख बिन्दु

- भारतीय वायुसेना, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायु सेनाओं के साथ डेजर्ट फ्लैग-VI युद्धाभ्यास (EX Desert FLAG VI) में पहली बार भाग ले रही है।
- यह अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात के अल-दाफरा एयरबेस पर 3 मार्च से 27 मार्च 2021 तक निर्धारित है।
- भारतीय वायुसेना छह सुखोई-30 एमकेआई, दो सी-17 और एक आईएल-78 टैंकर विमान के साथ इस युद्घाभ्यास में भाग ले रही है। सी-17 ग्लोबमास्टर भारतीय वायुसेना के दल को सहायता प्रदान करेगा। वहीं सुखोई-30 एमकेआई विमान लंबी दूरी की उड़ान भरेगा जो भारत से सीधे अभ्यास क्षेत्र में जाएगा और इस दौरान रास्ते मे आईएल-78 टैंकर विमानों से उसमें ईंधन भरा जाएगा।
- गौरतलब है कि पिछले दशक में भारतीय वायु सेना ने नियमित रूप से बहुराष्ट्रीय सामरिक युद्ध अभ्यासों की मेजबानी की है एवं इनमें भाग लिया है, जिनमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायु सेनाओं के बीच सहयोग किया जाता है।

डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास (Ex Desert Flag)

- डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़ा युद्ध अभ्यास है।

उद्देश्य

- इस अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी सैन्य बलों को नियंत्रित वातावरण में हवाई युद्ध अभियान की परिस्थितियां बनाकर प्रशिक्षण देते हुए सामरिक एक्सपोजर प्रदान करना है। भाग लेने वाली सेनाओं को युद्ध की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान करने के साथ-साथ अपनी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

- दुनिया भर से विविध लड़ाकू विमानों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर आयोजित यह अभ्यास भारतीय वायु सेना सहित प्रतिभागी ताकतों को ज्ञान, अनुभव, सामरिक क्षमताओं और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।
- उल्लेखनीय है कि एक गतिशील और वास्तविक युद्ध वातावरण में भाग लेने वाले राष्ट्रों के साथ युद्धाभ्यास और बातचीत भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान प्रदान करती है।

भारत के लिए विशेष महत्व

- संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हो रहे डेजर्ट फ्लैग-VI युद्धाभ्यास (EX Desert FLAG VI) में भारतीय वायुसेना की भागीदारी, भारत और अरब दुनिया के बीच घनिष्ठ होते संबंधों का संकेत है।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया था।
- इसके अलावा, जब राफेल लड़ाकू जेट विमान फ्रांस से भारत में आ रहे थे तो संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें अपने यहाँ ईंधन भरने की अनुमति दी थी।

05 हिमालयन सेरो

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में असम में पहली बार बकरी और मृग से मिलते-जुलते एक हिमालयी स्तनपायी सेरो (Serow) को देखा गया है।

हिमालयन सेरो (Himalayan Serow) के बारे में

- हिमालयन सेरो बकरी, गधा, गाय और सुअर की प्रजाति का एक मिला जुला रूप है। यह प्रजाति सामान्यत: हिमालय क्षेत्र में 2,000 से 4,000 मीटर की ऊँचाई पर पायी जाती है
- मध्यम आकार के इस स्तनपायी जानवर की गर्दन मोटी होती है, कान खच्चर के समान लम्बे और सम्पूर्ण शरीर पर काले बाल होते हैं।

- इन्हें असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार देखा गया है।

हिमालयन सेरो के संरक्षण की स्थिति

- हिमालयन सेरो को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल प्रजाति का शिकार करना दंडनीय अपराध माना जाता है।
- आईयूसीएन के अनुसार, पिछले एक दशक में हिमालयन सेरो की जनसंख्या में लगातार कमी हुयी है और उनके निवास स्थानों का भी क्षरण हुआ है।
- शुरुआत में हिमालयन सेरो को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में 'संकटापन्न' (Near Threatened) प्रजाति की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन वर्तमान में यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में 'सुभेद्य' (Vulnerable) श्रेणी में वर्गीकृत है।

मानस राष्ट्रीय उद्यान (Manas National Park) के बारे में

- मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य, असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान हैं।
- इस पार्क का नाम मानस नदी पर रखा गया है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
- यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल होने के साथ-साथ बाघ आरक्षित परियोजना और हाथियों के आरक्षित क्षेत्र में शामिल एक प्रमुख जीवमंडल हैं।
- इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था, लेकिन बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण इस उद्यान को 1992 में विश्व धरोहर स्थल सूची से हटा लिया गया था। बाद में जून 2011 में पुन: विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया।

06 सूखे की मार झेल रहे मेडागास्कर को भारत की मदद

चर्चा में क्यों?

- 1 मार्च, 2021 को भारत ने अपने 'सागर विजन' के अनुरूप सूखाग्रस्त मेडागास्कर को मानवीय सहायता के रूप में 1,000 मीट्रिक टन चावल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन की 100,000 टैबलेट की खेप भेजने की घोषणा की है।

संबंधित जानकारी

- मेडागास्कर की सरकार द्वारा दक्षिण मेडागास्कर में मानवीय संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और सहायता की अपील करने के बाद यह खेप मेडागास्कर भेजी जा रही है।
- भारत द्वारा भेजी जा रही है मानवीय सहायता प्रधानमंत्री के सागर विजन (Security And Growth for All in the Region- SAGAR) का भाग है।
- भारत द्वारा इस मानवीय सहायता के लिए भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व को भेजा जा रहा है, यह जहाज 3 मार्च, 2021 को भोजन और चिकित्सा सहायता लेकर मेडागास्कर जाएगा।

मेडागास्कर में भुखमरी की समस्या

- मेडागास्कर का दक्षिणी हिस्सा पिछले तीन वर्षों से सूखे का सामना कर रहा है।
- लंबे सूखे ने फसल को उत्पादन को अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया है और लोगों की भोजन तक पहुंच में बाधा से यहाँ भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही COVID-19 ने स्थानीय लोगों की समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है।
- लगातार वर्षों में सूखे के कारण दक्षिणी मेडागास्कर में भूखमरी की समस्या लगातार बढ़ रही है, कई क्षेत्रों में लोग भूख मिटाने के लिए मिट्टी का सहारा ले रहे है।

क्या है सागर विजन?

- समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर (Security And Growth for All in the Region- SAGAR) कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।

मेडागास्कर (Madagascar) के बारे में

- मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है, जो मोजाम्बिक के तट से लगभग 450 किमी (280 मील) दूर पर स्थित है। इसके साथ ही मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है।
- मेडागास्कर का निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ था। यहां पर कई पौधे और जानवरों की अद्वितीय प्रजातियां पाई जाती हैं।
- मेडागास्कर भौगोलिक दृष्टि कोमोरोस, मॉरीशस, मोजाम्बिक, रियूनियन और दक्षिण अफ्रीका के निकट स्थित है। मेडागास्कर की आबादी 22 मिलियन से अधिक है एवं यहां पर मालागासी और फ्रेंच भाषाएं बोली जाती हैं। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानैरिवो (Antananarivo) है जो कि यहां का सबसे बड़ा शहर भी है।
- आपको बता दें कि मेडागास्कर वनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का हिस्सा है। यह द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है जो रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वनीला द्वीप समूह दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित छह द्वीप देशों का समूह है। वनीला द्वीप समूह में मैयट, कोमोरोस, मॉरीशस, सेशेल्स, रीयूनियन और मेडागास्कर शामिल है।

भारत-मेडागास्कर संबंध

- मेडागास्कर को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत हमेशा आगे आया है।
- जनवरी 2020 में मेडागास्कर में चक्रवात डिआने कारण हुई भारी तबाही के बाद भारत ने मेडागास्कर की मदद के लिए 'ऑपरेशन वनीला' के नाम से एक मिशन लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के जरिए मेडागास्कर में दवा, कपड़े और रसद जैसे जरूरी सामानों की आपूर्ति की गयी थी।
- मार्च 2020 में, भारत की नौसेना के जहाज शार्दुल को मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र में भारी बाढ़ से निपटने के लिए और मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए 600 टन चावल के साथ गया था।

07 सिंधु नेत्र

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में डीआरडीओ ने 'सिंधु नेत्र' (Sindhu Netra) नामक निगरानी उपग्रह को निर्मित किया है , जो हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करने में मदद करेगा।
- 'सिंधु नेत्र' (Sindhu Netra) उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के 'PSLV-C51' नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया गया।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में 'PSLV-C51' प्रक्षेपण यान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करके कुल 19 उपग्रह (सैटेलाइट) अंतरिक्ष में भेजे गए हैं।

सिंधु नेत्र (Sindhu Netra) के बारे में

- हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region -IOR) में देश की निगरानी क्षमताओं मे वृद्धि करने हेतु, अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के युवा वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा 'सिंधु नेत्र' (Sindhu Netra) नामक निगरानी उपग्रह को विकसित किया गया है।
- 'सिंधु नेत्र' (Sindhu Netra) उपग्रह सक्रिय युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों की स्वचालित रूप से पहचान करने में सक्षम है।
- आवश्यकता पड़ने पर यह उपग्रह दक्षिण चीन सागर जैसे विशेष क्षेत्रों और अदन की खाड़ी और अफ्रीकी तट के पास समुद्री डाकू प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी करने में भी मदद कर सकता है।
- सिंधु नेत्र उपग्रहों की श्रृंखला में पहला है जो चीन के साथ लद्दाख क्षेत्र और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि पर भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा।

'PSLV-C51' के प्रक्षेपण से जुड़े मुख्य बिंदु

- पीएसएलवी-सी 51 (PSLV-C51) को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) से लांच किया गया है।
- इसरो (ISRO) ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के पीएसएलवी-सी 51 (PSLV-C51) संस्करण के मध्यम से 19 उपग्रह (सैटेलाइट) अंतरिक्ष में भेजे हैं। इन उपग्रहों (सैटेलाइट्स) में देशी एवं विदेशी दोनों ही शामिल हैं।
- अमेजोनिया-1 के अलावा 18 अन्य उपग्रहों में इन स्पेस (तीन भारतीय शैक्षिक संस्थानों के संकाय से तीन यूनिटीसैट तथा अंतरिक्ष किड्ज इंडिया से एक सतीश धवन सैट) तथा एनसिल से 14 उपग्रह शामिल हैं।
- पी.एस.एल.वी.-सी.51/अमेजोनिया-1 अंतरिक्ष विभाग के अधीन भारत सरकार की कंपनी एनसिल का प्रथम समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। स्पेसफ्लाइट इनकॉरपोरेशन यू.एस.ए. के साथ वाणिज्यिक व्यथवस्थात के तहत एनसिल इस मिशन पर कार्यरत है।
- ब्राजीलियाई उपग्रह अमेजोनिया-1 सैटेलाइट की मदद से अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई और ब्राजील में कृषि क्षेत्र से संबंधित अलग-अलग विश्लेषणों के लिए यूजर्स को रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान कर मौजूदा संरचना को और भी मजबूत बनाने का काम किया जाएगा।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

01 चुनाव होने वाले स्थानों पर ऋण माफी की घोषणा जैसी लोकलुभावन प्रथा किस प्रकार अन्य नीतियों को प्रभावित करती है। चर्चा कीजिए।

02 भागीदारी बजट को समझाते हुए स्थानीय शासन में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए।

03 भारतीय फार्मेसी, सम्पूर्ण विश्व के समक्ष एक सशक्त दवा केंद्र के रूप में भारत को प्रस्तुत करता है। चर्चा कीजिए।

04 वैश्विक एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में तापन एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का उल्लेख कीजिए।

05 प्रधनामंत्री के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम "आत्मनिर्भर भारत " का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बजट 2021-22 के प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

06 भारत की नयी शिक्षा नीति- 2020 का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए बताइये कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अन्य क्या उपाय हो सकते हैं?

07 डिजिटल सामग्री के विनियमन के लिए जारी किये गए नवीन दिशानिर्देशों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसकी कमियों को सूचीबद्ध कीजिए एवं सुझाव दीजिए कि सुधार के लिए क्या किया जा सकता है?

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05 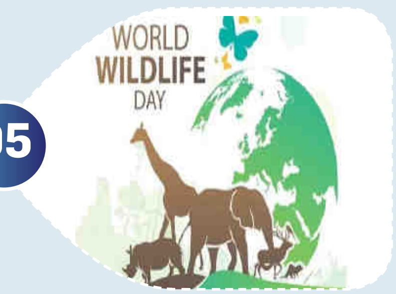

01 वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता?

नरेंद्र मोदी

02 किस देश ने भारत के साथ लक्षद्वीप और पुदुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना का संचालन करने पर सहमति व्यक्त की है?

नॉर्वे

03 किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है?

कर्नाटक

04 हाल ही में किस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है?

काराकल

05 वर्ष 2021 के लिए विश्व वन्यजीव दिवस' का विषय क्या है?

'वन और आजीविका: स्थायी लोग और ग्रह'

06 किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित, लड़ाकू जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है?

बोइंग, यूनाइटेड स्टेट्स

07 किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज (CiX) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04

06

01 एक देश की महानता,बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करता है।

सरोजिनी नायडू

02 सवाल करने की शक्ति सभी मानव प्रगति का आधार है।

इंदिरा गांधी

03 एक कलम, एक किताब, एक बच्चा, और एक शिक्षक पूरी दुनिया बदल सकते हैं।

मलाला युसुफजई

04 शासक और शासित के बीच के अंतर को कम किए बिना भ्रष्टाचार को हटाया नहीं जा सकता है।

किरण बेदी

05 खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते। लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते है।

मदर टेरेसा

06 स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसानों का सच्चा कहना है।

सावित्रीबाई फुले

07 नारी सदैव अजेय रही हैं।

महादेवी वर्मा

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

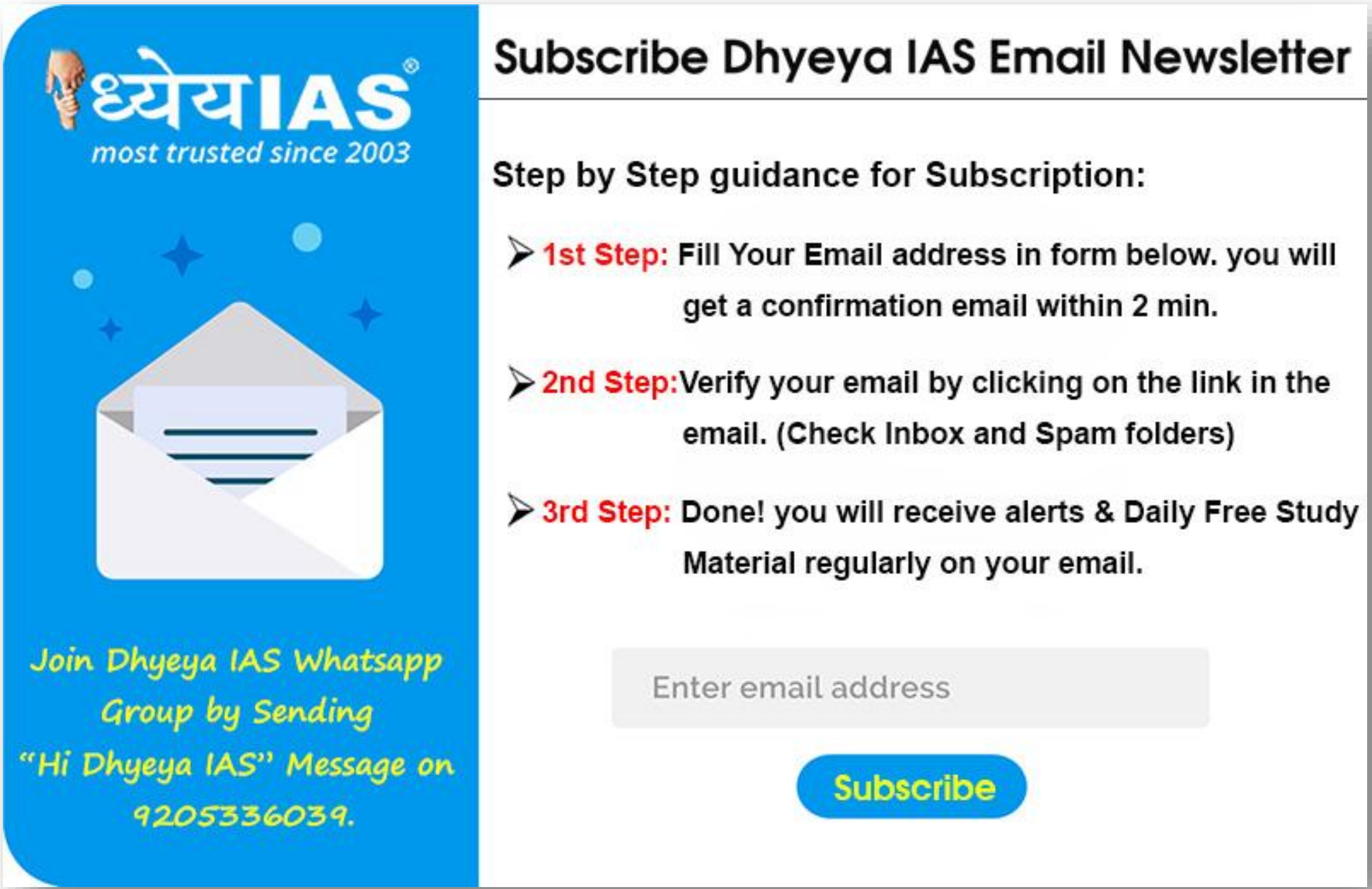

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com